

शासन-निरपेक्ष समाज

[सर्वोदय समाज के निर्माण की योजना]

धीरेन्द्र मजूमदार

गांधी स्मारक विधि (बन्नी छात्र)

ग्रणी भुवन, लिमिटेड रोड,

बम्बई नं. ४.



१९५४

अ०भा० सर्व-सेवा-संघ, वर्धा का प्रकाशन

सर्व-सेवा-संघ वर्षा के लिए
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित

1731

दूसरी बार : १९५४

मूल्य

चार आना

मुद्रक
भेदनाथ प्रिंटिंग वर्कस,
दिल्ली

दो शब्द

मैंने कई मौकों पर सर्वोदय सेवकों को यह चेतावनी दी है कि यदि वे भूदान-यज्ञ को केवल भूमि के सम-विभाजन आन्दोलन के रूप में समझेगे और उन्हें इसकी मूलभूत-क्रांति की धारणा नहीं रहेगी तो हमें उसी तरह से धोखा होगा जिस तरह गांधीजी की स्वराज्य की कल्पना क्या है, इसकी स्पष्ट धारणा देश को न रहने से स्वराज्य-आन्दोलन में हुआ। इस पर से कई साथियों ने मुझे इसका अधिक स्पष्टीकरण करने को कहा। तदनुसार सर्वोदय की विचार-क्रांति क्या है और भूदान-यज्ञ के सिलसिले में सर्वोदय समाज के निर्माण के लिए क्या योजना हो सकती है, यह इस पुस्तिका में बताने की कोशिश की है।

सर्वोदय का पूरा चित्र देने में कहीं-कहीं ऐसी बातें भी आई हैं जिन्हें मैंने दूसरे स्थानों में भी कहा है। लेकिन उनके बिना विचार-प्रवाह अपूर्ण रह जाता, इसलिए उचित स्थानों पर उसे भी रखा गया है। जगह-जगह जो प्रश्न होते रहे हैं, उनमें से भी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। मुझे आशा है, सर्वोदय-सेवकों की दृष्टि स्पष्ट करने में यह पुस्तिका सहायक होगी। पुस्तिका पढ़कर किसी भाई या वहन को अगर कोई शंका हो या किन्हीं बातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वे मुझे लिखने की कृपा करें।

सादीग्राम, जमुई
जिला मुंगेर

—धीरेन्द्र मजूमदार

विषय-सूची

१. क्रांति की पृष्ठ-भूमि ५-८
 विश्व-क्रांति का स्वरूप—५, क्रांति क्या है—६, क्रांति की पहचान—६,
 भूदान-आंदोलन—धर्म-चक्र प्रवर्तन—७, जमाने की मांग—७,
 परिवर्तन की प्रक्रिया—७, समाज के मूल्यांकनों में क्रांति—८ ।
२. भू-दान की सही भूमिका ८-१५
 रुढ़ि—९, क्रांतद्रष्टा की गति—९, गांधीजी की प्रवृत्तियाँ—१०,
 भूमिदान पुनर्विभाजन नहीं—११, स्वराज्य आन्दोलन में हमारी भूल—
 ११, भूमिदान में सावधानी—१३ ।
३. दंड-शक्ति १५-२१
 प्रागैतिहासिक युग में—१६, विभिन्न शक्तियों की विकास-क्रांति—
 १७, आर्थिक क्रांति—१८, जनता का स्वराज्य : एक प्रश्न ?—२०,
 दंड-निरपेक्ष समाज—२० ।
४. लोक-शक्ति का निर्माण और कानून २२-३०
 अधिकार या मोह—२२, शिव कही नहीं हैं—२४, पूजा का चक्कर—
 २५, जनता को आन की अपेक्षा जान की फिर—२६, अम-आश्रित
 उत्पादन पद्धति की आवश्यकता—२६, भूमि पूजा के कब्जे से निकले—
 २७, हमारा उद्देश्य : शासनहीन समाज रचना—२८, भूमि और कानून—
 २९ ।
५. धर्म-परिवर्तन की ओर ३१-४१
 हज़ूर वर्ग के संगठन का इतिहास—३२, हज़ूर बनाने के कारणों—
 ३२, क्रांति की दो प्रक्रियाएँ—३३, समग्र ग्राम-सेवा का कार्य—३६, व्यक्ति
 नहीं, पद्धति बदलनी है—३८, अम-विभाजन की बात—३८, भूदान-यज्ञ
 और धर्म-परिवर्तन—४०, विनोबा की चेतावनी—४० ।
६. प्रश्नोत्तर ४२-५९

शासन-निरपेक्ष समाज

: १ :

क्रान्ति की पृष्ठ-भूमि

आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रवर्तित भूदान-यज्ञ ने आज सर्व भारतीय दृष्टि को आकर्षित कर लिया है। केवल भारत ही नहीं, सारे विश्व की नजर इस आन्दोलन पर है। दो साल पहले, जब विनोबाजी सेवाग्राम से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब कौन जानता था कि यह यात्रा एक 'विश्व क्रान्ति' का रूप ले लेगी। केवल विरोधी ही नहीं, साथियों का भी कहना था कि तेलंगाना में जो जमीन मिली वह एक विशिष्ट परिस्थिति के दबाव के ही कारण मिली थी। दूसरे प्रदेशों में जमीन दान में नहीं मिल सकेगी। अगर मिलेगी भी, तो जैसे भारत में साधु-सन्तों को दान देने की सनातन परिपाटी है उसीके अनुसार हजार-यांच-सौ एकड़ जमीन भले ही दान में मिल जाय, लेकिन विनोबाजी, जो कहते हैं कि वे इस आन्दोलन द्वारा भूमि-समस्या हल करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि में इस यात्रा का कोई महत्त्व नहीं है।

विश्व-क्रान्ति का स्वरूप

धीरे-धीरे लोगों ने देखा कि भूमि का दान मिल रहा है और वह सनातन परिपाटी के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि विशेष व्यापकता के साथ। फिर भी लोगों में शका बनी ही रही कि इस आन्दोलन का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। लेकिन दो साल में आज सारी दुनिया आन्दोलन की प्रगति देखकर आश्चर्यचकित है। संतों के सामान्य दान के रूप में सोचने की शुरुआत से लोगों ने इसे इस युग के एक बहुमत व्यापक परोपकारी

भूदान-आन्दोलन—धर्म-चक्र-प्रवर्तन

आचार्य विनोबा भावे ने अपने आंदोलन को 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' कहा है। उनका कहना है, "सामान्य धर्म-प्रचार और क्रांति या 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। सामान्य धर्म तो ऋषि और संत लोग हमेशा समझाते रहते हैं। इसलिए सर्वसामान्य धर्म-प्रचार एक बात है और जमाने की मांग क्या है, यह पहचान कर धर्म-विचार उसके साथ जोड़ देना दूसरी बात है। संत और ऋषि मामूली धर्म-प्रचार तो हमेशा करते रहते हैं, परन्तु उससे धर्म-चक्र-प्रवर्तन नहीं होता है। जहां परिस्थिति के साथ धर्म-भावना जुड़ जाती है वहां वह लोगो के दिल को छूती है। इससे बड़ी शान्ति पैदा होती है। और इसीसे धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है।" अर्थात् धर्म-प्रचार से सुधार होता है और धर्म-चक्र-प्रवर्तन से क्रांति होती है।

जमाने की मांग

वस्तुतः जमाने की मांग क्रांति की पुकार हुआ करती है। युग-युग में हमेशा ऐसे जमाने आते रहे हैं जिस समय समाज का सारा ढांचा तोड़ कर नया ढांचा बनाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे जमाने में सामाजिक क्रांति की आवश्यकता होती है। मानव समाज के लिए महान् कल्याणकारी समाज-पद्धति भी काल-क्रम में महान् विनाशकारी पद्धति बन सकती है। ऐसी दशा में सारे समाज से एक सहज पुकार उस पद्धति को तोड़कर नई पद्धति कायम करने की होती है। उसीको जमाने की मांग या क्रांतिकारी परिस्थिति कहते हैं।

परिवर्तन की प्रक्रिया

एक सामान्य मिसाल से क्रांति की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझ में आ जायगी। मान लें कि किसी समय एक परिवार ने अपनी सुख-सुविधा और सुरक्षा के लिए विचारपूर्वक अत्यन्त सुविधाजनक भकान बनाया। क्रमशः स्थिति में दो प्रकार का परिवर्तन हुआ। काल-क्रम से पुराना होने के कारण भकान की ईंट में लोनी लगी, लकड़ी आदि सामग्री सड़ी और

पीढी-दर-पीढी पारिवारिक परिस्थिति में हेर-फेर हुआ। शुरू-शुरू में लोग काफी दिन तक मकान की मरम्मत करते रहे और पारिवारिक स्थिति के बदलाव के साथ-साथ मकान की स्थिति में भी रद्दोबदल करते रहे। आखिर एक समय ऐसा आया कि सड़न के कारण घर टूटकर गिरने लगा। रहनेवालों की जान को खतरा हुआ। रद्दोबदल करते-करते उसकी हालत ऐसी हो गई कि नई परिस्थिति में उसके अन्दर गुजारा करना असंभव हो गया। ऐसी हालत में लोग उस मकान को गिराकर नया मकान बनाते हैं, क्योंकि अब उसमें सुधार या मरम्मत की कोई गुज़ाईश नहीं रह जाती।

समाज के मूल्यांकनों में क्रान्ति

इसी तरह मनुष्य के कल्याण के लिए समाज का कुछ ढांचा बनाया जाता है। तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार कुछ धारणाएं बनती हैं तथा वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह सब इसलिए होता है कि मानव-समाज सुख और शान्ति में जीवन बिता सके। समय पाकर इन सबके रूढ़ि बन जाने से इस ढांचे में तथा धारणा और मूल्यांकन में विकृति पैदा होती है। दूसरी ओर मत्त परिवर्तनशील प्रकृति के प्रभाव से समाज की परिस्थितियों का निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। दोनों मिलकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे समाज का पुराना ढांचा, जीवन की धारणाएं तथा मूल्यांकन मौजूदा बदली हुई स्थिति में सुखकारी न होकर संकटकारी हो जाते हैं। ऐसे संकट से ब्रह्म होकर समाज की अन्तरात्मा एक मामूली परिवर्तन की पुकार करती है। सारे समाज की अन्तरात्मा की पुकार टल नहीं सकती। यही पुकार मूर्तिमान होकर शान्ति का रूप लेती है।

: २ :

भू-दान की सही भूमिका

अनाथ भूमिदान-यज्ञ पर एक शान्तिकारी आंदोलन की पृष्ठ-भूमि में विचार करना होगा। विनायकजी ने कहा है कि धर्म-विचार जब

जमाने की मांग के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब क्रांति यानी धर्म-चक्र-प्रवर्तन हो जाता है। हर क्रांति की द्रुत प्रगति भी इसी कारण से हुआ करती है, क्योंकि जमाने की मांग के कारण सारे मानव-समाज की दृष्टि ऐसे आंदोलन की ओर सहज खिंच जाती है। लेकिन जहां यह बात क्रांति को प्रगति देने के लिए एक शक्ति है वहां यही बात उसी क्रांति के लिए खतरा भी है। इसलिए जरूरी है कि भूमिदान आंदोलन में कार्यकर्ता अपने काम के साथ क्रांति पर के खतरे के बारे में निरन्तर जागृत रहें।

रुढ़ि

शुरू-शुरू में कोई क्रांतिकारी द्रष्टा जमाने की मांग को पहचान कर उसे पूरा करने का एक मार्ग उपस्थित करता है। प्रकृति के निरन्तर प्रगति-शील होने के कारण क्रांतिकारी मार्ग हमेशा नया होता है और उसकी मिसाल इतिहास में नहीं हुआ करती। यही कारण है कि जब क्रांतिकारी पुरुष नई बातें करते हैं तब यद्यपि साधारण जनता उसे समझ लेती है, पर पढ़े-लिखे विद्वानों को उनकी बातें नहीं भातीं; क्योंकि पंडितों की बुद्धि प्रायः शास्त्रों की जिल्द के अन्दर गिरपतार रहती है और वे अपनी किताबों में लिखे हुए सूत्र के अनुसार ही बातें समझ पाते हैं। इसलिए वे प्रारम्भ में क्रांतिकारी की बातों की हंसी उड़ाते हैं, दूसरी ओर क्रांति के जमाने की मांग का सही पूरक होने के कारण अनसाधारण का दिल सहज ही उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन प्रकृति से रुढ़िग्रस्त होने के कारण उनकी बुद्धि साधारणतः पंडितों की ओर ही झुकती रहती है।

क्रान्ति द्रष्टा की गति

इस प्रकार क्रांतिकारी पुरुष शुरू-शुरू में समाज में साधारण जनता के दिल को आकर्षित करते हुए भी अकेला ही चलता है। लेकिन दिल साथ होने के कारण जल्दी ही वह जनता को अपनी ओर खींचकर उसे क्रांतिकारी मार्ग पर चलाने लगता है। फिर वह प्रगति जब व्यापक हो जाती है तो पढ़े-लिखे विद्वानों की भी दृष्टि आकर्षित होती है। उनमें से दो-एक ऐसे भी होते हैं जो जमाने की समस्याओं के समाधान के लिए अपने पांडित्य

करीब वही हुआ। गांधीजी के अनुयायियों द्वारा स्वावलंबी समाज-व्यवस्था के सिद्धांत का आग्रह छोड़कर विकेंद्रीकरण की बात करने के कारण जन-स्वावलंबन के आधारपर सच्चे लोकतंत्र के रूप में ग्रामराज्य कायम न होकर एक विराट् केन्द्रित सत्ता के नीचे सारी प्रजा दबती जा रही है। यह सही है कि हम लोग लोककल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की बात करते हैं और सोचते हैं कि इसीसे गणराज्य सच्चा होगा, लेकिन तानाशाही सरकार भी तो लोककल्याणकारी हो सकती है, बल्कि लोककल्याणकारी होने के कारण ही प्रारम्भ में जनता तानाशाही को स्वीकार भी करती है। इस तरह किताबों के मूत्र में नई क्रांति की बात बूढ़ने की चेष्टा से क्रांति इस प्रकार विपथगामी हो सकती है। उसकी मिसाल हमने अभी-अभी भारतीय आंदोलन में देखी।

भूमिदान पुनर्विभाजन नहीं

उसी तरह विनोबाजी ने भूमिदान-यज्ञ आंदोलन चलाया और विद्वानों ने जब इसमें क्रांतिकारी स्वरूप को देख लिया तब वे पुरानी प्रचलित किताबों के पन्नों को पढ़कर इसे भूमि के पुनर्विभाजन के रूप में समझने लगे। यह समझने की आवश्यकता है कि जैसे विकेंद्रीकरण-मात्र से गांधीजी का स्वावलंबन नहीं होता उसी तरह भूमि के पुनर्विभाजन-मात्र से ही विनोबाजी का भूमिदान-यज्ञ नहीं होता है। भूमि का वितरण तो जापान और चीन में भी हुआ है, लेकिन क्या वहां भूमिदान-यज्ञ के उद्देश्य के अनुसार सर्वोदय समाज यानी शासन तथा शोषण-रहित जनतंत्र कायम हो सका है? वहां तो उत्कट तानाशाही का ही संगठन हुआ है। अगर भूमिदान-यज्ञ को केवल भूमि-वितरण के ही रूप में देखा जाय और उमी दिशा में ही कार्यकर्ता आगे बढ़ें, तो क्या भारत में भी तानाशाही का खतरा नहीं आ सकता ?

स्वराज्य आन्दोलन में हमारी भूल

मैंने शुरू में कहा है कि इस यज्ञ के प्रति सारे भारत की दृष्टि आकर्षित हुई है। केवल आकर्षित ही नहीं हुई, बल्कि सभी श्रेणियों और सभी

अपने ढंग के स्पष्ट थे, परिस्थिति पर कब्जा कर लिया, और उन राष्ट्रवादी सेवकों पर, जिनकी दृष्टि धूमिल थी, हावी हो गए। हम भी, उनके द्वारा क्रांति सधेगी, यह समझ कर निश्चेष्ट रहे।

फिर जब हमने देखा कि हमारे वे साथी, जिन्हें हम अपने स्वधर्मी समझते थे, लेकिन जिनके सिद्धांत, धारणा तथा दृष्टि वस्तुतः पृथक थी, हमारी धारणा के अनुसार मुल्क के राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक ढांचों में आमूल परिवर्तन न कर पुराने ढांचे को ही संचालित कर रहे हैं, तो हम उनकी शिकायत करने लगे। लेकिन शिकायत का कोई कारण नहीं था। वह स्वाभाविक था। क्रांतिकारी जब आंदोलन चलाता है और आंदोलन के शुरू में जब ऐसा कार्यक्रम लेना पड़ता है, जिसको करने के लिए हर तबके के लोगों का आग्रह होता है तो वह सबके साथ संयुक्त मोर्चा बनाता है। लेकिन ऐसी हालत में उसे निरन्तर जाग्रत रहना पड़ता है ताकि उसकी क्रांति की धारणा, धूमिल होकर वह प्रतिक्रांतिकारी शक्ति के हाथ में न चली जाय। हमने स्वराज्य के क्रांतिकारी आंदोलन के समय ऐसी चौकसी नहीं रखी। इसलिए आज मुल्क पर प्रतिक्रियावादी शक्ति हावी हो गई।

भूमिदान में सावधानी

जिस तरह गांधीजी ने स्वराज्य के बारे में स्पष्ट धारणा मुल्क के सामने रखते हुए भी, पहले देश का सारा ध्यान विदेशी राज्य हटाने पर केंद्रित करने को कहा, और ऐसा कहना एक व्यावहारिक क्रांतिकारी के लिए स्वाभाविक भी था, उसी तरह आज विनोबाजी भी अपनी आर्थिक तथा सामाजिक क्रांति की स्पष्ट धारणा देश के सामने रखने पर भी पहले भूमि-प्राप्ति तथा भूमि-वितरण के काम में सारी शक्ति केंद्रित करने के लिए 'एकहि साथे सब सधे' की बात कह रहे हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि जबतक पहला कदम जम न जाय तबतक आगे का कदम उठाना कठिन है। और बहुमुखी कार्यक्रम चलाने से शक्ति बिखर कर क्रांति में कमजोरी आ सकती है। लेकिन आज अगर विनोबाजी की क्रांतिकारी धारणा के अनुसार भविष्य की समाज-रचना के सिद्धांत को माननेवाले कार्यकर्ता आगे का कदम

तथा भावी राष्ट्र-निर्माण के बारे में उसी तरह से विचार तथा विवेचन किये विना केवल भूमि-दान की ही बात सोचते रहेगे, जिस तरह हम स्व-राज्य आंदोलन के समय सोचते रहे, तो इस धार भी हम चूकेंगे और एक बार और प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ संगठित होकर हमारी आंति को उलटते रास्ते ले जायगी। जिस प्रकार अंग्रेजों को हटाना कई प्रकार के लोगों के लिए इष्ट था, उसी प्रकार भूमि का पुनर्विभाजन भी कई सिद्धांत, दृष्टि तथा नीयत वालों के लिए भी इष्ट हो सकता है। जमींदारी प्रथा सामन्तवादी प्रथा का ही भग्नावशेष है। हमने इतिहास में देखा है कि सामंतवाद को खत्म करनेवाले पूँजीवादी ही थे। आज भी पूँजीवादी जमींदारी प्रथा को खत्म ही करना चाहते हैं, क्योंकि जमींदारों के रहते भूमि पर पैदा हुए कच्चे मालों पर सीधा अपना ही नियंत्रण रखने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए वे भूमि-दान-यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। चीन के कम्युनिस्ट तानाशाही राज्य-व्यवस्था को ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने भूमि का पुनर्विभाजन किया अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही। अतः इस देश के कम्युनिस्ट अपने पार्टी-हित की दृष्टि से चाहे इस यज्ञ से भले ही धवराएँ, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से वे भी इस पुनर्विभाजन कार्य में शामिल हो सकते हैं। ऐसे भी काफी लोग हो सकते हैं जो औद्योगिक केन्द्रीकरण को मानते हुए भी देहाती गरीबी की राहत की दृष्टि से भूमि के पुनर्विभाजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जातीयतावादी तथा सम्प्रदाय-वादी भी भूमि-वितरण के साथ हो सकते हैं। ऐसे जातीयतावादी गोपित दल आदि नामों में संगठित हो भी रहे हैं। आज जन-मण आदि साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी भी इसके साथ हैं। जनरल मैक-आर्थर कोई गर्वोद्भववादी तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी तो जापान में भूमि का पुनर्विभाजन किया।

इस तरह जहाँ एक ओर कोई नया धर्म-विचार जमाने की माँग के साथ जुड़ा न होना से यह सामान्य ऋषि-व्याप्य होकर कुछ दिवकी पुरुषों का व्यक्तिगत आचारमात्र ही रह जाता है, उसमें आम जनता के शामिल न होने के कारण उग विचार में कोई शक्ति नहीं रहती है, वहाँ दूररी और हर

किस्म के लोगों के शामिल होने के कारण क्रांति की दृष्टि धूमिल होने की संभावना रहती है। इसलिए मैंने कहा है कि जमाने की मांग के साथ एक-रसता जहां क्रांति के लिए एक शक्ति है वहां वही बात उसके लिए खतरा भी हो सकती है। अतएव जो लोग इसे क्रांतिकारी आन्दोलन के रूप में देखते हैं, उन्हें यज्ञ के भौतिक आधार के बारे में विचार करना होगा। इस विचार का प्रचार मुल्क भर में करना होगा ताकि देश की दृष्टि साफ हो सके।

इसका मतलब यह नहीं है कि भूमिदान में कार्यकर्ता सब श्रेणी के लोगों को मिलाकर काम न करे। अधिक-से-अधिक लोगों को बिना खींचे कोई आंदोलन नहीं चलता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वे अपनी क्रांति की दृष्टि स्पष्ट रखें। हरेक तबके में लोगों के सामने उस विचार को साफ तौर से पेश करें। किताबों के सूत्र में से अगर कोई बात निकालनी हो तो उसकी स्पष्ट और क्रांतिकारी परिभाषा इस ढंग से करे कि जनता की समझ में गलतफहमी न रहे, ताकि दूसरी दृष्टि तथा सिद्धांत के लोग अपने उद्देश्य की सिद्धि में उसे इस्तेमाल न कर सकें।

: ३ :

दंड-शक्ति

विनोबाजी भूमिदान आंदोलन को अहिंसक समाज-रचना का पहला कदम कहते हैं। अहिंसक समाज का मतलब है हिंसा-रहित समाज। अतः हमें मूलतः समाज से हिंसा हटाने की बात सोचनी होगी; लेकिन हिंसा स्वतः कोई चीज नहीं है। वह शोषण-वृत्ति का नतीजा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करना चाहता है और अगर वह निर्विरोध शोषण करने में सफल होता है तो वह खामखा हिंसा नहीं करता। एक मुल्क दूसरे मुल्क का शोषण करना चाहता है और निर्विरोध शोषण करने में समर्थ होता है तो खामखा युद्ध नहीं छेड़ता। इस तरह हम देखेंगे कि साधारणतः शोषण की वृत्ति से ही हिंसा की शुरुआत होती है।

अतएव अहिंसक समाज-रचना के लिए शोपण-हीन समाज-रचना की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि शोपण होता किस चीज का है? साधारणतः श्रम का यानी शरीर का शोपण ही शोपण माना जाता है। अर्थात् लोग यह मानते हैं कि हिंसा केवल शरीर पर होती है। लेकिन मनुष्य का केवल शरीर ही नहीं होता। उसमें आत्मा भी होती है। अतः विचार करने की आवश्यकता है कि शरीर के साथ-साथ आत्मा पर भी शोपण हो सकता है।

मनुष्य की आत्मा पर हिंसा उसकी आजादी छीनने से होती है। वस्तुतः मनुष्य की आजादी छीननेवाला सबसे बड़ा यन्त्र शासन होता है, अर्थात् शासन-यन्त्र मनुष्य की आत्मा पर हिंसा का कारण होता है; क्योंकि किसी व्यक्ति पर जिस हद तक शासन का दंड रहेगा उस हद तक उसकी आत्मा कुंठित रहेगी। अतः अहिंसक समाज-रचना के लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया में दंड-हीन समाज याने स्वराज्य कायम हो।

वस्तुतः दुनिया की आज की मुख्य समस्या स्वराज्य की समस्या है। साम्यवादी, फासिस्टवादी, लोकतन्त्रवादी, किसी नाम से भी पुकारा जाय, आज की दुनिया में हर मुल्क में उत्कट तानाशाही ही चल रही है। वास्तविक लोकशाही का अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देता। जहाँ कहीं जनतन्त्र का नाम है वहाँ भी जनता की वंसी ही हालत है जैसे कि कच्छहरी से अपने 'हक' की 'डिग्री' पाते हुए भी किमी किसान को अपनी जमीन का कब्जा न मिला हो।

प्रागैतिहासिक युग में

मानव-इतिहास के प्रथम युग में मानव झुंड में रहते थे। सहयोगिता के आधार पर जिन्दगी का माधन पैदा करके स्वच्छन्द विचरते थे। प्रमथाः समाज में प्रतियोगिता और उसके फलस्वरूप गंधर्प पैदा हुआ। स्वच्छन्द समाज के इन गंधर्प ने धीरे-धीरे मानव-समाज के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। अस्तित्व कायम रचना प्रकृति की मूल-वृत्ति होने के कारण

मनुष्य अपने अस्तित्व का सतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था । वह इस स्थिति से निकलने का उपाय सोचने लगा ।

विभिन्न शक्तियों की विकास-क्रांति

पुराणों की कथा के अनुसार मनुष्य आपसी संघर्ष से परेशान होकर आत्मरक्षा की नीयत से ब्रह्मा के पास पहुँचा । ब्रह्मा ने मनुष्य पर कृपा करके उनपर राज्य करने के लिए मनु को सत्कार में भेज दिया, जिससे वह संघर्ष की चौकीदारी कर सके । इस तरह संसार में प्रतिद्वंद्विता के बीज से राज-दंड की सृष्टि हुई । संघर्षकाल के लिए एक मध्यस्थ के रूप में उन्हें अपनी जिम्मेदारी सुचारु रूप से चलाने के लिए सैनिक शक्ति की सृष्टि करनी पड़ी । सैनिक बल से पुष्टि पाकर धीरे-धीरे दंडशक्ति अधिकतर संगठित और बलशाली होने लगी । नतीजा यह हुआ कि यह शक्ति क्रमशः जन-शक्ति पर हावी होती गई । जनता भी सहूलियत के मोह से अपनी व्यवस्था और मंचालन के लिए उसी राजदंड पर भरोसा करने लगी । जनता की इस कमजोरी का फायदा उठा कर दंड-शक्ति उसपर सिर्फ हावी ही नहीं हुई, बल्कि उसका निर्दलन भी करने लगी ।

इस प्रकार एक मध्यस्थ के रूप में जन्म लेकर राजशक्ति यानी दंड-शक्ति जन-स्वतन्त्रता का निर्दलन करके संसार पर अपनी सत्ता कायम करने लगी । मनुष्य इस स्थिति से फिर परेशान हुआ । जिन शक्ति को उसने अपना रक्षक मानकर पैदा किया था वही शक्ति उसकी भद्रक होकर उसकी आजादी भी छीनने लगी । फिर से मानव-समाज ने इस स्थिति में से अपने को निकालना चाहा और दुनिया में राजतंत्र को सत्तम करके लोकतंत्र कायम करने के लिए एक महान् शक्ति की । हमने देखा कि फ्रांस में एक विराट् विस्फोट हुआ और सारी दुनिया में वह फैल गया । दुनिया में राजतंत्र चरम हो गया ।

इस शक्ति की चेष्टा में मनुष्य ने एक महान् मूल की । उसने राजाओं को शतम किया, लेकिन ये जिन दंड-शक्ति के मानिक थे उसकी आवश्यकता को शतम नहीं किया । सिर्फ राजा के हाथ से उसे छीनकर पार्लियमेंट के नाम

से जनता के प्रतिनिधियों की संस्था बनाकर उसके हाथ में सौंप दिया और सोचा कि अब हमारे अपने आदमी के हाथ में दंड है, इसलिए कोई खतरा नहीं। देहात में एक कहावत है, "सैयां भये कोतवाल कि अब डर काहे का।" अर्थात् अब चैन से सोया जा सकता है। जनता भी प्रतिनिधियों को चुनकर चैन से नो गई, किन्तु 'प्रभुता पाय काहि मद नाही' इस तत्व को वह भूल गई। निश्चित जनता की मुख्यवस्था और संचालन के बहाने ये नये दंड-धारी अपनी विशाल शक्ति को लेकर जन-जीवन के अधिक-से-अधिक हिस्से पर कब्जा करने लगे। नतीजा यह हुआ कि राजतंत्र के समय से लोकतंत्र में जनता पर दंड का दखल बढ़ता गया यानी उसकी आजादी घटती गई। अर्थात् उसकी आत्मा अधिक कुंठित और निर्दलित होने लगी।

आर्थिक क्रांति

जिम समय सप्ताह में यह राजनैतिक क्रांति चल रही थी, ठीक उसी समय आर्थिक क्षेत्र में एक महान क्रांति हुई। 'जेम्स वाट' द्वारा वाष्प-शक्ति में आविष्कार के साथ-साथ आर्थिक उत्पादन के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पहले दस्तकार अपने छोटे-छोटे औजार लेकर स्वतन्त्रता पूर्वक जिन्दगी के साधन पैदा करते थे, उसका उपभोग करते थे और अतिरिक्त सामान स्वतन्त्र रूप से बेचकर अपनी दूसरी आवश्यकताओं की भी तृप्ति कर लेते थे। उत्पादन की प्रक्रिया बदल कर केंद्रित हो जाने के कारण सारी जनता का आर्थिक-निःशस्त्रीकरण हो गया। वह अब स्वतन्त्र रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती थी। उसे जिन्दा रहने के लिए अब पूर्ण रूप में कारखाने या पूजीपति का भरोसा करना पड़ा। आर्थिक जिन्दगी पर कब्जा करने के कारण इन पूजीपतियों ने स्वभावतः राजदंड पर भी अपना कब्जा जमा लिया। नतीजा यह हुआ कि एक ही हाथ में दंड-शक्ति और उत्पादन-शक्ति दोनों होने के कारण ये जनता का अधिक शोषण करने लगे। यह शोषण मरिचक आत्मा तक ही मर्यादित न होकर शरीर का भी होने लगा; क्योंकि अपनी स्वतन्त्रता में उत्पादन न कर सकने के कारण उत्पादक

श्रमिकों को अपना श्रम कारखानेदारों के हाथ बँ बँचने पर मजबूर होना पड़ा। श्रमिकों की मजबूरी से पूंजीपति उसका नाजायज फायदा भी उठाने लगे।

इस तरह पूंजीवादी लोकतंत्र में जनता की हालत राजतंत्र से भी अधिक खराब हो गई; क्योंकि राजतंत्र में जहाँ जनता की आत्मा ही कुंठित होती थी, वहाँ लोकतंत्र में जनता के शरीर और आत्मा दोनों का शोषण होने लगा, सो भी पहले से अधिक पैमाने पर। इससे भी ऊँच कर मनुष्य ने वाद में जो शक्ति की, उससे उसकी आत्मा और अधिक कुंठित हो गई। पहले जिस तरह राजाओं को हटा कर राजदंड को पार्लामेंट के हाथ में डाल दिया उसी तरह अब केवल राजदंड ही नहीं, बल्कि उत्पादन-यंत्र भी उसी के हाथ में सौंप दिया जिसके हाथ में राजदंड था। जब दमन तथा उत्पादन के साधन एक ही गुट के हाथ में आ गये, तब उसके लिए जनता का पूर्णरूप में निर्दलन करना आसान हो गया। दंड का दबाव जनता पर और अधिक हो गया।

कहावत है, 'ज्यों-ज्यों इलाज किया मजं बढता ही गया।' मनुष्य जैसे-जैसे आजादी की चेष्टा करता गया, वैसे-वैसे उसके गले में शासन का फंदे बढ़ता गया। कारण यह है कि, यद्यपि मनुष्य ने इस चेष्टा में बड़ी-बड़ी श्रान्तियाँ की, शोषण आत्म-बलिदान भी किया, लेकिन उसने एक बुनियादी भूल की। उसने यह नहीं समझा कि उसके सिर पर दंड गिरता है, दंड चलाने-वाला नहीं। इस भूल के कारण उसने यह समझा कि उसको तकलीफ दंड चलानेवालों के कारण हो रही है, न कि दंड के कारण। इसीलिए उसने हमेशा चलानेवालों पर ही हमला किया और दंड को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि उसका कलेवर बढ़ाता ही गया। गांधीजी ने मानव-समाज की दृष्टि इस बुनियादी भूल को ओर आकृष्ट की। उन्होंने बताया कि मनुष्य गुद दोषी नहीं होता, पद्धति ही बिभी सुख या दुःख का कारण होती है। अगर दंड के आधान में तकलीफ होती है तो दंड को न हटाकर दंड चलाने-वालो को बदलने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव अगर मनुष्य को शोषण-

मुक्त होना है तो उसे दुनिया में एक दंडहीन यानी शासनहीन समाज कायम करना होगा ।

जनता का स्वराज्य : एक प्रश्न ?

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दुनिया में ऐसा दंडहीन समाज प्रत्यक्ष देख सकेगा ? शायद नहीं, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य यानी शासनहीन समाज एक आदर्श है । आदर्श तो रेखागणित के बिन्दु जैसा होता है । उसकी धारणा की जा सकती है । वह दिखाई नहीं देता है । लेकिन यद्यपि यथायं रेखागणित का बिन्दु दिखाई नहीं देता है, तो भी हमें जो कुछ दिखाई देता है, यानी जितनी इमारतें, सड़क-पुल, कल-कारखाने आदि हैं, वे सब-के-सब रेखागणित के बिन्दु के आधार पर ही बने हुए हैं । अगर कोई इंजीनियर इन तमाम प्रत्यक्ष चीजों के निर्माण में उस बिन्दु का आधार छोड़ दे तो उपर्युक्त चीजों में से एक भी खड़ी न हो पायगी ।

अतएव हमको भविष्य के समाज-निर्माण के लिए पूर्ण दंडहीन समाज के आधार पर एक व्यावहारिक रचना करनी होगी । अगर पूर्ण शासनहीन समाज केवल आदर्श है तो निस्संदेह हम कितना ही आदर्श के नजदीक बयों न पहुंचे, किसी-न-किसी रूप में तथा हृद में शासन-दंड रह ही जायगा । फिर जनता का स्वराज्य कैसे हो, यह प्रश्न है ।

दण्ड-निरपेक्ष समाज

इस प्रश्न का हल दंडहीन समाज के आदर्श पर एक दंड-निरपेक्ष समाज बना कर हो सकता है, अर्थात् शासन-यंत्र के अवशेष रहते हुए भी मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज की मौलिक व्यवस्था और उसका मंचालन तथा नित्य जीवन की रक्षा दंड-शक्ति के बाहर स्वतन्त्र जन-शक्ति के आधार पर संगठित कर सकता है । दंड-शक्ति का अस्तित्व मनुष्य के लिए उतने ही भर के लिए होगा जितने भर के लिए रेलगाड़ी में जंजीर होंगी हैं, अर्थात् साधारणतः मनुष्य को दंड-शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी । मयोगवश अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसकी शरण ले सकेगा ।

गांधीजी रामराज्य की बात करते थे । विनोबाजी कहते हैं, राम-राज्य यानी ग्रामराज्य । ऐसे रामराज्य में जन-कल्याण का काम जनता द्वारा यज्ञ-कार्य से संपादित होता था । यज्ञ-पुरोहित यानी जन-नायक भद्रोच्चार से गण-देवता का आवाहन करता था और सारे जन-गण उस आवाहन के अनुसार उस यज्ञ में आहुति अर्पण करते थे । ऐसे ही यज्ञ से यानी जन-शक्ति द्वारा समाज का सारा कल्याणकारी कार्यक्रम चलता था । जब कभी यज्ञ-भंग करने के लिए ताड़का का आविर्भाव होता था, तभी वे रेलगाड़ी की जजीर के जैसा दंड-शक्ति का इस्तेमाल करते थे ।

वरतुतः दंड-निरपेक्ष स्वराज्य कायम हो जाने की स्थिति में भी कुछ केंद्र-शक्ति की भी आवश्यकता होगी, स्वावलम्बी ग्राम इकाइयों को एक-सूत्र में बांध रखने के लिए । लेकिन इसका स्थान क्या होगा, यही प्रश्न है ? एक छोटे-से उदाहरण से स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।

पूर्ण प्रफुल्लित फूलों की माला में एक सूत्र की आवश्यकता होती है । लेकिन अच्छी माला उसी को कहेंगे, जिसमें यह सूत्र दिखाई न दे । माला में जब सूत्र दिखाई देने लगता है तो समझना चाहिए कि वह माला सूख रही है । उसी तरह दंड-निरपेक्ष स्वराज्य समाज में स्वयंपूर्ण ग्राम-इकाइयों को एक सूत्र में बांधने के लिए शासन की आवश्यकता होगी, लेकिन समाज के नित्य जीवन में वह दिखाई न देगी अर्थात् उसके अस्तित्व का अनुभव न होगा । अगर ऐसा हुआ तो समझना चाहिए कि वह स्वराज्य सूख रहा है ।

अब सवाल यह है कि समाज पर से दंड-शक्ति का निराकरण कैसे हो ? आज दुनिया में गंपूर्ण रूप से दंड-निरपेक्ष समाज चल रहा है । जनता पर दंड-शक्ति का कब्जा ऐसी कड़ाई से बना हुआ है कि वह जरा भी अपने मन से इपर-उपर नहीं कर सकती । हमारी क्रांति की प्रगति पर विचार करते समय जनता को इस बज्रमुष्टि से निकालने के कदमों पर पहले विचार करना होगा ।

: ४ :

लोक-शक्ति का निर्माण और कानून

आज की दुनिया किसी-न-किसी शक्ति की तानाशाही के नीचे दबी है। ऐसा कोई जादू नहीं हो सकेगा जिससे मानव-समाज उससे एकाएक बाहर निकल सके। संसार में आज सारा मानव-समाज संपूर्ण रूप से दंड-सापेक्ष हो गया है। एकाएक इस दंड-शक्ति का उन्मूलन करना संभव नहीं दीखता। अतः शासनहीन समाज के आदर्श के आधार पर दंड-निरपेक्ष समाज कायम करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि इस दंड-शक्ति की एकाधिपत्यता घटाई जाय, यानी उसपर जनता की ओर से नियंत्रण हो।

वस्तुतः संसार में लोकतंत्र के नाम से आज जो चीजें चल रही हैं, वे वास्तविक लोकतंत्र नहीं हैं। जनता से मत (Vote) लेकर कुछ लोग शासन करने चले जायें इतने मात्र से ही जनतंत्र नहीं होता। यही कारण है कि गांधीजी ने स्वराज्य की परिभाषा करते हुए कहा था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अधिकार प्राप्त-मात्र में ही स्वराज्य नहीं होता है, बल्कि स्वराज्य इस बात में निहित है कि अधिकार के दुरुपयोग पर जनता के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विद्रोह करने की ताकत हो।

अधिकार का मोह

लोग कहते हैं कि जब जनता समझ-बूझ कर ऐसे लोगों को, जो अपनी जिन्दगी जनहित के काम में ही खपाते हैं, वोट दे तो ऐसे लोगों द्वारा अधिकार प्राप्त होने पर भी दुरुपयोग का सतरा कहा है? ऊपर-ऊपर विचार करने में यह बात ठीक लगती है, लेकिन मानव-चरित्र की गहराई में जाने पर अधिकार के दुरुपयोग की सम्भावना स्पष्ट हो जायगी। आज के अधिकांश समाज-शास्त्री कहते हैं कि संपत्ति अस्थिर और स्वार्थ अजेय है। मनुष्य के मज्जे में एक बार संपत्ति आने पर वह उगे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि

वृद्धि ही करना चाहता है। अतः जबरदस्ती ही इस संपत्ति को छुड़ाया जा सकता है। लेकिन साथ-साथ वे इस बात को मानते हैं कि जो लोग अधिकार पा जायेंगे, वे सहज विवेक-बुद्धि से उस अधिकार को अपने-आप सूखने देंगे। लेकिन मनोविज्ञान के अध्ययन में वे एक मौलिक भूल करते हैं। अगर संपत्ति न छोड़ने की वृत्ति मनुष्य-चरित्र में अन्तर्निहित है तो अधिकार न छोड़कर उसमें वृद्धि करने की वृत्ति उससे अधिक बलवती है। मानव-समाज के इतिहास की ओर गौर से देखा जाय तो विवेक-बुद्धि से संपत्ति छोड़ने की मिसालें अगणित हैं। लेकिन अपने-आप अधिकार छोड़ने की मिसाल नहीं के बराबर है। यही कारण है कि भारत के महान् मनोविज्ञान की किताबों में, पुराणों में यह लिखा है कि त्रिलोक में सबसे अधिक तपस्या करनेवाले को ही इंद्रासन मिलता है। लेकिन इंद्रासन मिलते ही वह दूसरे की तपस्या भंग करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। यह कहानी मानव-समाज के सनातन चरित्र का एक रूपक मात्र है।

अतः यह स्पष्ट है कि जो भी अधिकार में जायगा, चाहे वह महान लोकप्रिय व्यक्ति या दल हो, अपने हाथ में अधिकार को हमेशा कायम करने की चेष्टा करेगा। इस चेष्टा में यह स्वाभाविक है कि वह दूसरे किसी के अधिकार प्राप्ति की चेष्टा को दबा देगा। दवानों की प्रक्रिया हमेशा जायज ही हो, यह कोई जरूरी नहीं है। इस दमन-वृत्ति के कारण अधिकार के दुरुपयोग की समस्या हमेशा बनी ही रहेगी। ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि जन-शक्ति इस तरह संगठित रहे कि जनता में विद्रोही शक्ति निरन्तर कायम रह सके ताकि मौका पड़ने पर वह उसे तत्काल इस्तमाल कर सके। हो सकता है कि एक लम्बे अरसे तक इसकी आवश्यकता न हो—फिर भी किसी समय भी आवश्यकता हो सकती है, इन बात का ध्यान रखकर जनता की उम शक्ति की उपामना निरन्तर करने रहना चाहिए। आखिर रेलगाड़ी में हमेशा गतरा नहीं रहता, लेकिन गतरों की जंजीर तो हमेशा ही रखनी पड़ती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता कभी भी हो सकती है।

शिव कहीं नहीं है

अब प्रश्न यह है कि जनता में यह विद्रोही शक्ति कैसे कायम रहे ? पुराण में शिव-शक्ति की बात कही गई है । जहाँ समाज में संगठन और संचालन के लिए इन्द्र की आवश्यकता है वही गणतंत्र की रक्षा के लिए शिव का रहना भी जरूरी है । शिव वह है जो महान तपस्वी होने पर भी इन्द्रासन का इच्छुक नहीं है—जो गण के बीच में गण-रूप में ही रहता है और गण को तकलीफ होने पर ताड़व करता है । उसी प्रकार अगर समाज की सुव्यवस्था के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता है तो स्वराज्य की रक्षा के लिए एक गणनायक की भी आवश्यकता है । आज दुनिया में इसी चीज का अभाव है । दुनिया में जहाँ लोकशाही के नाम से भी कुछ चलता है वहाँ भी स्वतन्त्र गण-नायक का अस्तित्व नहीं है । राज्य चलाने के लिए एक पार्लामेंट बनती है जिसके हाथ में दंड-शक्ति रहती है । देश में दो दल बनते हैं, जिनमें उस शक्ति पर कब्जा करने के लिए आपस की प्रतियोगिता होती है । जो जीतता है वह अधिकार में जाता है, जो हारता है वह पार्लामेंट में विरोधी दल बनता है, लेकिन वह भी दंड-शक्ति का अंग माना जाता है । इसलिए विरोधी दल के नेता को भी सरकारी कोप से बेतन दिया जाता है अर्थात् पार्लामेंट के अधिकारी दल और विरोधी दल दंड-शक्ति के ही दो हिस्से हैं, जैसे एक ही वस्तु की दो दिशाएं होती हैं : एक उलटी और दूसरी सुलटी । जिस तरह लड़ाई में एक सैनिक दल और एक रेडक्रॉस दल होता है । एक का चरित्र मारने का होता है और दूसरे का बचाने तथा सेवा करने का । लेकिन दोनों ही हिंसा शक्ति के दो बाजू हैं, क्योंकि दोनों युद्ध-जनित हैं, उसी तरह ये, पार्लामेंट के दोनों दलों में दो चरित्र होते हुए भी दंड-शक्ति के दो बाजू ही हैं ।

यही कारण है कि आज सारी दुनिया में तानाशाही का बोलबाला है, क्योंकि अधिकार को नियंत्रित करने के लिए स्वतन्त्र लोकशक्ति का संगठन तथा नैतृत्व रूप में स्वतन्त्र गणनायक दल यानी शिव का अस्तित्व नहीं है । सभी महात्मा गांधी ने कहा था कि आज की दुनिया में स्वराज्य इंग्लैंड,

अमरीका, रूस या जर्मनी कही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कही शिव दिखाई नहीं दिया ।

इसीलिए दंड-हीन समाज की धारणा के आधार पर अगर दंड-निरपेक्ष समाज कायम करना है तो उस दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि देश में एक स्वतंत्र तीसरा दल हो जो लोक-सेवा के आधार पर महान तपस्वी होने पर भी दंड पर कब्जा करने की प्रतियोगिता में शामिल न हो और निरन्तर जनशक्ति के संगठन में लगा रहे । यही कारण है कि विनोबाजी अपने अनुयायियों को उस प्रतियोगिता से पृथक रहने के लिए आग्रह करते हैं और सर्व-सेवा-संघ भी अपने को उससे अलग रखता है ।

इतना होने पर भी एक दूसरी बात की भी आवश्यकता है । दुनिया में प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही कोई बात फलवती होती है । केवल पुरुष या केवल प्रकृति अनुत्पादक होती है । अतः अगर देश में शिव की स्थापना हुई यानी स्वतंत्र नेतृत्व कायम हुआ तो भी अगर जनता की परिस्थिति अनुकूल न रही तो उस शक्ति का निर्माण नहीं होगा, जिसके द्वारा वह अधिकार को नियंत्रित कर सके । नायक चाहे जितना तपस्वी हो, अनुकूल परिस्थिति के बिना जनता उसके इशारे पर तांडव नहीं करेगी । अब प्रश्न यह है कि इस परिस्थिति का स्वरूप क्या है ? और आज कौनसी परिस्थिति है, जिसके कारण जनता के अन्दर विद्रोही शक्ति का अभाव होगा । इसका मुख्य कारण है आर्थिक केन्द्रवाद ।

पूजी का चक्कर

दुनिया में मनुष्य ने श्रम टालने के फँस में बड़े-बड़े कल-कारखानों की सृष्टि की और जिन्दा रहने के सारे साधनों की उत्पत्ति पूजी के आश्रित कर दी । नतीजा यह हुआ कि जनता की जान उसके शरीर के अन्दर से निकल कर पूजी के अन्दर पूजीभूत हो गई, कुछ मुट्ठी भर लोगों के कब्जों में चली गई । यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि पूजी का स्वधर्म है कि यह एक स्थान पर इकट्ठी होकर रहे । इसलिए उसका संचालन थोड़े लोगों द्वारा ही होना संभव है । जनता की जान पूजी-आश्रित हो जाने से ऐसे

गुट के कब्जे में चली गई जिसने अधिकार पर कब्जा कर लिया। जान का कब्जा अधिकारी के हाथ में होने पर जनता के लिए यह संभव नहीं रहा कि वे उसी अधिकारी के विरोध में विद्रोह करें जिसके बिना वह जिंदा नहीं कर सकती है।

जनता को आन की अपेक्षा जान की फिक्र

यह सही है कि मनुष्य-समाज स्वतंत्रता-प्रेमी है और स्वतंत्रता के लिए काफी तकलीफ उठाने को तैयार रहता है। आन के लिए जान को कुर्बान करने की भी मिसालें इतिहास में पाई जाती हैं। लेकिन साधारण जनता के मामले में जब आन और जान के बीच चुनने का सवाल खड़ा होगा तो वह आन छोड़ कर जान की रक्षा करने की ही फिक्र ज्यादा करेगी। जो लोग जान देकर भी आन की रक्षा करते हैं, उनको हम शहीद कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, पर वे विरले हैं। अतः मानव-समाज की जान यदि अधिकारी के हाथ में रहेगी तो जनता अधिकारी के विरोध में जान को खतरे में डालने के बजाय आन को पीछे रखकर उनसे समझौता करने की ही कोशिश करेगी। अतएव अगर जनता की जान यानी जिन्दा रहने के लिए मौलिक साधन का उत्पादन पूँजी-आश्रित रहा तो जनता के लिए विद्रोह करने की परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसी हालत में कितना ही तपस्वी नेतृत्व पाने पर भी मनुष्य अधिकारी पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा, यानी वह गणतंत्र की रक्षा नहीं कर सकेगा। इसका सहज नतीजा तानाशाही होगा।

धर्म-आश्रित उत्पादन-वृद्धि की आवश्यकता

यही कारण है कि शोषण-हीन समाज यानी स्वराज्य स्थापना करने के लिए प्रथम आवश्यकता एक महान् आर्थिक क्रांति की है। अर्थात् आज जो पूँजी-आश्रित उत्पादन-वृद्धि चल रही है उसे समाप्त कर धर्म-आश्रित उत्पादन-वृद्धि कायम करने की आवश्यकता है। बहुत से दूरग्रे लोग भी 'पूँजीवाद का नाश हो' का नारा लगाते हैं, लेकिन वे पूँजीवाद यानी पूँजी-आश्रित उत्पादन-वृद्धि को खत्म करने की चेष्टा न करके पूँजीपति को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः पूँजीपति को खत्म करने से ही समस्या का

समाधान नहीं होगा। पूजावाद का मूलोच्छेद करना होगा। गाधीजी कहते थे कि समाज की परेशानी का कारण व्यक्ति नहीं, पद्धति है। इसलिए पूजा का कौन संचालन करे, इसकी फिक्र न कर पूजा-आश्रित आर्थिक पद्धति रहे या न रहे, इसपर ही विचार करना चाहिए। अगर जिन्दगी की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूजा की अनिवार्य आवश्यकता रह जाती है और पूजापति खत्म होता है तो वह पूजा पूजापति के स्थान पर किसी दलपति के कब्जे में चली जायगी और जनता की जान पूजापति वर्ग की मुट्ठी से निकल कर दलपति की वज्रमुष्टि के नीचे चली जायगी। अर्थात् एकवर्गीय तानाशाही के स्थान पर एकदलीय तानाशाही कायम होगी।

भूमि पूंजी के कब्जे से निकले

उत्पादन का मौलिक साधन भूमि ही है। इसलिए अगर पूजावाद को खत्म करके धर्मवाद की स्थापना करनी है तो उसका पहला कदम भूमि को पूंजी के कब्जे से निकाल कर धर्म के ही कब्जे में डालना होगा अर्थात् भूमि का फल उसी को मिलना चाहिए जो उसपर धर्म करे। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं कि भूमि-दान-यज्ञ गरीबों को राहत पहुंचाने का एकमात्र सामान्य साधन ही नहीं है और यह न सिर्फ तात्कालिक बेकारी दूर करने का एक जरिया है, बल्कि यह यज्ञ एक महान् क्रांति का पहला कदम है। इसलिए वह केवल भूमि-वितरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि भूदान-यज्ञ और केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार आन्दोलन को अभिन्न मानते हैं और अपनी भाषा में दोनों को 'सीता-राम' कहते हैं।

अतः जो कार्यकर्त्ता भूमिदान-यज्ञ को एक सामान्य परोपकारी कार्यक्रम न मानकर शासनहीन तथा शोषण-हीन समाज कायम करने के उद्देश्य में एक क्रान्तिकारी कदम मानते हैं, उन्हें भूमिदान-आन्दोलन के साथ-साथ केन्द्रित उद्योग बहिष्कार आन्दोलन का आग्रह कड़ाई के साथ करना पड़ेगा तथा जन-समाज को धर्मवाद के इस क्रान्तिकारी पहलू को गहराई से समझाना पड़ेगा, नहीं तो गणतंत्र कायम करने का यह क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति के कब्जे में जाकर संसार में

तानाशाही ही कायम करेगा ।

हमारा उद्देश्य शासनहीन समाज-रचना

इस तरह हमारा कार्यक्रम स्पष्ट होता है । हमारा अंतिम उद्देश्य शासनहीन यानी दंडहीन समाज कायम करने का है, जिसका व्यावहारिक रूप दंड-निरपेक्ष समाज है । ऐसा समाज कायम करने के लिए हमारा तात्कालिक आन्दोलन आज के पूर्ण दंड-सापेक्ष-समाज को जनता के नियंत्रण में लाने का है । इस दिशा में जनता की जान दंडशक्ति के बाहर निकालने का सक्रिय कदम उठाना होगा । ऐसा तभी हो सकता है जब जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की आंतरिक व्यवस्था और संचालन के लिए मनुष्य की केन्द्रीय पूजा अवलंबित उत्पादन-पद्धति को छोड़ कर विकेन्द्रित श्रम-अवलंबित उत्पादन-पद्धति को अपना कर स्वावलंबी हो ।

हमारे जो साथी उपर्युक्त उद्देश्य को भली-भांति समझ गए हैं, वे जल्दी से कानून क्यों नहीं बनता है, इसके लिए परेशान नहीं होंगे । वस्तुतः आज जो कार्यकर्ता तथा करीब-करीब दूसरे सभी लोग यह कहते हैं कि फौरन कानून बन जाय और जमीन का बंटवारा हो जाय, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि लोगो ने भूमिदान-यज्ञ के मूलतत्त्व को नहीं समझा है । शासनहीन समाज कायम करने की क्रान्ति की शुरुआत में ही शासन का भरोसा अगर करना हुआ तो उसका नतीजा वही होगा जो रूस में हुआ । अर्थात् निरंतर शासन के सहारे ही समाज का संगठन, संचालन तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना होगा जिसका सहज परिणाम सर्वाधिकारी राज्यवाद ही होगा । फिर शासन-निरपेक्ष काम कौनसा होगा ?

भूमि की समस्या आज की दुनिया की एक महान समस्या है । एशिया के लिए तो यह प्रथम महत्व की समस्या है । अगर शासन की अपेक्षा तोड़नी है, तो हमें सबसे बड़ी समस्या के समाधान में ही शासन-निरपेक्ष होकर काम करना होगा, क्योंकि भूमि समस्या जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न का हल करने में अगर दंडशक्ति को ताक पर रखकर केवल जनशक्ति के आधार पर ही कामयाब हो जाते हैं, तो शासन की आवश्यकता को खत्म करने की

दिशा में हम एक बहुत बड़ा किला फतह कर लेते हैं। अगर इतनी महान समस्या का समाधान स्वतंत्र जन-शक्ति से ही हो गया तो उस शक्ति के लिए आज जो छोटे-छोटे सरकारी महकमे चल रहे हैं उन्हें अनावश्यक कर देने में कितनी देरी लगेगी।

शंकाशील व्यक्ति पूछेंगे कि क्या बिना कानून के आप इस समस्या का हल कर लेंगे? जनशक्ति पर विश्वास करनेवाले व्यक्ति को शंका ही नहीं होगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें कि तत्काल पूर्ण सफलता कानून के बिना नहीं होगी, तो भी जिस हद तक वह कामयाब होगी उस हद तक दंड-शक्ति की आवश्यकता खत्म होगी। यानी क्रान्ति की दिशा में प्रगति होगी। कोई भी क्रान्तिकारी पहले से ही यह मान नहीं सकता कि हमारी क्रान्ति असफल होगी। अतएव जो लोग शासन-हीन समाज की श्रान्ति की बात सोचते हैं उन्हें शुरु से ही शासन की आवश्यकता को समाप्त करने की बात सोचनी होगी। और यह होगा तब जब वे निरंतर शासन के बिना ही सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते रहेंगे। क्रान्ति की बात तो दूर रही, सामान्य युद्ध में भी जिस मुल्क को दखल करना होता है उसकी दखल की चेष्टा प्रथम से ही होती है। और अगर पूरा दखल नहीं भी हुआ तो जितना दखल हुआ उतनी कामयाबी वे मानते हैं। क्रान्ति की भूमिका में यह बात तो और जरूरी है।

भूमि और कानून

बहुत-से मित्र कहते हैं कि विनोबाजी भी तो कानून की बात करते हैं। वे उसी तरह से विनोबाजी के शब्द को उद्धृत करते हैं जिस तरह बहुत से लोग गांधीजी के शब्द उद्धृत करके कहते हैं कि वे भी तो हिंसा को मानते थे। गांधीजी ने कहा था कि अगर मुझे कायरता और हिंसा के बीच किसी को चुनना होगा, तो मैं कायरता से हिंसा को अधिक पसंद करूंगा। उसी तरह विनोबाजी ने कहा है कि अगर बिना कानून बनाये यग मे ही भूमि की समस्या हल हो गई तो मैं नाचूंगा। मगर आगिर कानून या सहारा देना ही पड़ा तो उने में बर्बाद कर लूंगा। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह

गाधीजी अहिंसा को ही मानते थे लेकिन अगर उन्हें कायरता और हिंसा के बीच चुनना पड़ता तो हिंसा को चुनते, उसी तरह विनोबाजी दंड-शक्ति के बिना ही भूमि समस्या हल करने के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन अगर उनको वर्तमान विपमता कायम रखना और दंड-शक्ति के सहारे भूमि का विभाजन करने के बीच चुनना पड़ा तो वे वर्तमान परिस्थिति कायम रखने के मुकाबले में कानून के सहारे से भी परिस्थिति बदलना पसंद करेंगे, अर्थात् विनोबाजी उसी अर्थ में कानून के सहारे अपना काम करने की बात मानते हैं, जिस अर्थ में गाधीजी हिंसा को मानते थे ।

फिर अगर भूमिदान-यज्ञ से भूमि का बटवारा हो गया तो क्या मुल्क में भूमि-संबंधी कोई कानून रहेगा ही नहीं ऐसी बात नहीं है । जबतक पूर्ण राज्यहीन नहीं होता, तबतक उसमें कानून रहेगा । लेकिन वह कानून भूमि-समस्या का समाधान होने पर रजिस्ट्री करने के तरीके से विधिवत् करना मात्र होगा, न कि कानून से भूमि बाटना होगा । आखिर अमरीका, आयरलैंड या हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता का कानून पार्लामेंट में ही बना था । तो क्या कोई कहेगा कि पार्लामेंट के कानून से ही इन मुल्कों को आजादी मिली ? शायद ही कोई ऐसा सोचता होगा । हर एक समझदार व्यक्ति यह समझता है कि जनता द्वारा स्वतंत्रता-युद्ध के सफल नतीजे से ही इन मुल्कों को आजादी मिली । जैसे स्त्री-पुरुष ने अगर आपस में शादी तय करके रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्री करा ली, तो कोई यह नहीं कहेगा कि रजिस्ट्रार साहब ने कानूनन यह शादी करा दी । उसी तरह भूमिदान-यज्ञ के सफल होने पर भी उस पर विधान सभा की मुहर पड़ेगी । वह मुहर ठीक उसी तरह पड़ेगी जिम तरह उपर्युक्त मुल्कों की आजादी को वैधानिक बनाने के लिए पार्लामेंट की मुहर लगी या शादी की रजिस्ट्री हुई ।

: ५ :

वर्ग-परिवर्तन की ओर

आजादी छीनने से आत्मा का निर्दलन होता है और शरीर का शोषण होता है श्रम-उपाजित सामग्री के अपहरण से। शरीर के शोषण की दिशा में आज समाज इतना आगे बढ़ गया है कि श्रमिक परेशान है। वस्तुतः जिस तरह राजनैतिक क्षेत्र में सर्वाधिकारी राज्यवाद (Totalitarianism) की समस्या आज का मुख्य सवाल है, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वर्ग-विपमता के संकट ने आज सबसे ऊपर का स्थान ले लिया है। समाज आज दो निश्चित तथा विरोधी वर्ग में विभाजित हो गया है। एक वर्ग उत्पादन करता रहता है और दूसरा व्यवस्था के बहाने उत्पादित सामग्री का उपभोग करता रहता है। साधारण भाषा में कहें तो कहना होगा कि एक मेहनत करके खाता है और दूसरा दलाली करके, और हम अक्सर एक को 'मजदूर' और दूसरे को हुजूर कहते हैं।

लेकिन वर्ग-विपमता की यह सामाजिक समस्या कोई स्वतंत्र समस्या नहीं है। यह राजनैतिक तथा आर्थिक केन्द्रीयकरण का नतीजा-मात्र है। इस बात को विशेष रूप से समझना चाहिए। आखिर हुजूर लोग मजूरों का शोषण किस तरह करते हैं? इस पर से बचपन में पढ़ी हुई बिल्ली और बंदर की एक छोटी-सी कहानी याद आती है। दो बिल्लियाँ मेहनत करके रोटियाँ लाई थीं और बंदर उस रोटि का माकूल बटवारा करने के बहाने उसे खा गया। उसी तरह मजदूर रोटि उत्पादन करता है और हुजूर लोग उसका इन्तजाम करने के बहाने खा जाते हैं। मजदूर केवल पेट पर हाथ रखकर तोकते रहते हैं।

यही कारण है कि आज संसार में चारों ओर से वर्गहीन समाज कायम करने की मांग सुनाई पड़ती है; लेकिन यह वर्गहीन समाज कायम कैसे हो? अगर दुनिया में एक ही वर्ग रखना है तो वह मजदूरों का यानी श्रमिकों का ही एक वर्ग हो सकता है, क्योंकि हुजूर वर्ग यानी व्यवस्थापक वर्ग अकेला

अपने पैर पर खड़ा नहीं रह सकता । अतः वर्गहीन समाज कायम करने के लिए आवश्यक है कि इस हुजूर वर्ग का लोप हो । इस वर्ग को विघटित करने का तरीका तभी मालूम हो सकेगा जब हम इसके संगठित होने के इतिहास को समझ लें ।

हुजूर-वर्ग के संगठन का इतिहास

मानव-समाज के प्रथम युग में सभी लोग मजदूर थे—सब उत्पादन करके खाते थे और सब सहयोगिता के आधार पर झुड़ में रहते थे । इसी कारण हमारी किताबों में लिखा है कि सत्य-युग में एक ही वर्ण था । बाद को जब समाज में प्रतियोगिता का आविर्भाव हुआ तथा आपसी संघर्ष के नतीजे से हिंसा होने लगी, तो मनुष्य ने राजा की सृष्टि की, यानी राज्य के रूप में एक ऐसी सत्स्था की सृष्टि की जिसमें कुछ लोग बिना उत्पादन किये व्यवस्था करके अपना गुजारा कर सकते थे । इस तरह राज्य-पद्धति के आविष्कार से हुजूर-वर्ग की सृष्टि हुई । जैसे-जैसे राज्य-प्रथा केन्द्रित और विस्तृत होती गई वैसे-वैसे उसी के सहारे हुजूर-वर्ग का विस्तार हुआ । उसी तरह मनुष्य ने श्रम टालने के लिए पूजा के आधार पर जिस उत्पादन-पद्धति का आविष्कार किया उसी पद्धति के अनुसार उद्योग-धंधों के संचालन तथा उत्पादित सामग्रियों के वितरण के बहाने एक दूसरी जाति के हुजूरों की विराट फौज खड़ी हो गई । दोनों मिलकर मजदूर पर इतना अधिक बोझ हो गया कि आज मजदूर उसके नीचे दबकर मरना चाहता है ।

हुजूर बनाने के कारखाने

सिर्फ इतना ही नहीं, मौजूदा शिक्षा-पद्धति की सराबरी के कारण शिक्षित समाज के लोगों में किसी प्रकार के उत्पादन का काम न कर सकने के कारण उनमें से जो लोग व्यवस्था तथा वितरण-कार्य नहीं करते हैं, वे भी किसी-न-किसी तरीके से मजदूरों के बन्धों पर बँटे रहते हैं । वस्तुतः आज के स्कूल और कॉलेज हुजूर बनाने के कारखाने-मात्र बने हुए हैं । अतएव जंगे-जंगे इस कारखाने से लोग निकलते जाते हैं धँसे-धँसे मजदूरों के बन्धों पर बोझ बढ़ाते जाते हैं । छोटी बें नेता से लेकर बाजार की सड़क पर गोष्ठी करनेवालों तक

लोग कहते हैं, कि यह शिक्षा-पद्धति बदलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो कैसे ? अगर किसी देश में चीनी की ही माग हो तो चीनी का कारखाना तोड़कर आटे का कारखाना नहीं कायम किया जायगा । राजनैतिक तथा आर्थिक उत्कट केन्द्रीयकरण के कारण शुद्ध व्यवस्थापक और वितरक की ही माग आज समाज में भरपूर है । जबतक यह माग इसी तरह कायम रहेगी तबतक हुजूर बनाने की कारखाने-रूपी शिक्षा संस्था की तबदीली नहीं हो सकती है । इसलिए सबसे पहले आर्थिक तथा राजनैतिक क्रान्ति और परिणामस्वरूप सामाजिक क्रान्ति करनी होगी, तभी बाकी बातें हो सकती हैं ।

राजनैतिक तथा आर्थिक केन्द्रीयकरण के नतीजे से आज मजदूरों के कंधों पर हुजूरों के बोझ की वृद्धि के कारण केवल मजदूर ही दबकर मर रहा है, ऐसी बात नहीं है; बल्कि संख्याधिक्य होने के कारण हुजूर लोगों को भी मजदूरों के शरीर से इतना रस नहीं मिल रहा है, जिससे वे मोटे-ताजे रह सकें, इसलिए वे भी सूखकर मर रहे हैं । इस प्रकार आज दोनों के सामने सकट खड़ा है यानी सारा संसार ही वर्ग-विपमता की आग से भस्म होना चाहता है । ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल और तुरंत एक महान् क्रान्ति के द्वारा पूर्ण रूप से एक वर्गीय समाज कायम हो, अर्थात् हुजूर-वर्ग के विघटन से मजदूरों का ही एक अद्वैतवादी समाज कायम हो ।

क्रान्ति की दो प्रक्रियाएं

प्रश्न रह जाता है कि इस क्रान्ति की प्रक्रिया क्या हो ? दो ही तरीके हो सकते हैं, एक वर्ग-संघर्ष का हिंसात्मक तरीका, दूसरा वर्ग-परिवर्तन की अहिंसात्मक क्रान्ति । एक विनाशकारी तरीका, दूसरा क्रान्तिकारी तरीका । पहले तरीके से मजदूर द्वारा हुजूरों के उन्मूलन की चेष्टा होगी और दूसरे तरीके से हुजूर मजदूर बनकर मजदूरों में विलीन होंगे । पहले तरीके की दूसरे मुल्को में काफी आजमाइश हो चुकी है और हमने देखा कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि एक समस्या से निकलकर दूसरी उससे जटिल समस्या के नीचे समाज पड़ जाता है । इस में उन्मूलन की चेष्टा हमने देखी । वहा हुजूर-वर्ग खत्म नहीं हुआ । उनकी केवल चौटी

ही कट गई। सारा शरीर ज्यों-का-त्यों रह गया। पूजीपतियों का नाश हुआ सही, लेकिन वहा इतना जबरदस्त एक व्यवस्थापक राज्य कायम हुआ कि इस व्यवस्था के नाम पर ही हुजूर-वर्ग का इतना अधिक सगठन हुआ कि मजदूर पूर्णरूप से उसके नीचे दब गया। पूजीपति-रूपी चोटी रहने पर जनता कभी-कभी उसे पकड़ भी सकती थी, लेकिन अब तो उससे भी हाथ धो बैठी और एक भयंकर संगठित दल की मुट्ठी के नीचे चली गई।

उन्मूलन की प्रक्रिया हिंसा की प्रक्रिया है। इसलिए इस तरीके से केवल ऊपर लिखे मुताबिक तात्कालिक और व्यावहारिक संकट ही आयगा, ऐसी बात नहीं। मानव-समाज में एक स्थायी संकट कायम हो जायगा। आखिर हम वर्ग-विपमता क्यों दूर करना चाहते हैं? इसलिए कि हम हिंसा से मुक्त होकर दुनिया में शांति कायम कर सकें। हिंसा को माननेवाले कहते हैं कि वे भी दुनिया में हिंसा खत्म करके शान्ति कायम करना चाहते हैं परन्तु वे कहते हैं, काटा निकालने के लिए काटा ही चाहिए, मालिश से वह नहीं निकलेगा। यानी हिंसा से ही हिंसा का अन्त होगा, प्रेम से नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हिंसा से हिंसा का अन्त होगा? जो लोग इस प्रकार सोचते हैं, वे विज्ञान को भूल जाते हैं। विज्ञान का कहना है कि हरेक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है और इस क्रिया-प्रतिक्रिया का घात-प्रतिघात अनन्त काल तक चलता है। अतः अगर हिंसा की क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया प्रतिहिंसा ही होगी और हिंसा-प्रतिहिंसा का घात-प्रतिघात अनन्तकाल तक चलता रहेगा। फिर किस काल में जाकर हिंसा समाप्त होकर शान्ति की स्थापना होगी।

इसलिए गांधीजी हमसे वर्ग-परिवर्तन की अहिंसक शान्ति करने का आवाहन करते रहे हैं।

वे हुजूर-वर्ग को सामाजिक उत्पादन में शामिल होकर उत्पादन-वर्ग में विलीन होने के लिए बहते थे और इसका सत्रिय कार्यक्रम देश के सामने रखते थे। मन् १९४५ में जेल में निकलते ही उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो जा

रहे हैं और शायद हम जैसा समझते हैं, उससे जल्दी ही जायंगे। अब हमें शोषण-हीन समाज कायम करने के लिए सक्रिय कदम उठाना है। इसके अमल के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग खादी पहनना चाहते हैं, उन्हें दो पैसे प्रति रुपये का सूत कातना ही होगा। उसी तरह उन्होंने कहा कि जो लोग खाना खाना चाहते हैं, उन्हें अपने हाथ से अन्न-उत्पादन करना ही है। इन बातों पर वे यहां तक जोर देते थे कि कलकत्ते के लोगों के यह कहने पर कि उनके पास जमीन कहां, जहां वे अन्न उत्पादन कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि गमले में ही सही, लेकिन नियमित रूप से अन्न-उत्पादन की प्रक्रिया हर एक को अपने हाथ से करनी ही है। यह स्पष्ट है कि गांधीजी जैसे व्यावहारिक क्रान्ति-कारी व्यक्ति यह नहीं समझते थे कि दो पैसे के सूत कातने-मात्र से या गमले में अन्न-उत्पादन करने से देश के अन्न-वस्त्र की समस्या हल हो जायगी या उतने ही से हुजूर-वर्ग के लोग मजदूर बन जायंगे, लेकिन क्रान्ति तो पहले विचार-क्षेत्र में ही होती है। गांधीजी सामान्य लाक्षणिक उत्पादन से पहले लोगों के दिमाग में क्रान्ति लाना चाहते थे ताकि वे निरन्तर अपने हाथ से उत्पादन करने के महत्त्व को समझे और थोड़ा-सा उत्पादन करके उत्पादक-वर्ग में सम्मिलित होने की क्रान्ति में शामिल हैं, यह बात जाहिर करें यानी गांधीजी के इस आन्दोलन के रजिस्टर में नाम लिखा लें।

इसी प्रकार वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की दिशा में दूसरे हल्के-हल्के सक्रिय कार्यक्रम रखते थे। वे बाबू वर्ग के लोगों को अपने व्यक्तिगत काम के लिए घरेलू नौकर से काम न लेने की बात कहते थे। अपने आदर्श के अनुसार संचालित आश्रमों में पाखाना-सफाई से लेकर खाना बनाने तक सभी काम अपने हाथ से करने की विधि रखकर श्रम-प्रतिष्ठा पर जोर देते थे। अन्त में उन्होंने वर्ग-परिवर्तन का एक महान् क्रान्तिकारी तथा व्यावहारिक कार्यक्रम दुनिया के सामने रक्खा, वह था शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वर्तमान हुजूर बनाने के कारखानों को बंद कर दिया जाय और सारी शिक्षा-योजना शरीर-श्रम द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से ही बनाई जाय। ऐसा करने से मजदूर वर्ग के लोगों

को शिक्षित करने में उन्हें मजदूरी के कार्य से उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और मजदूर रहते हुए वे शिक्षित हो जाते हैं। बाबू लोगो के लड़के भी बचपन से ही उत्पादन-कार्य में अभ्यासी होने के कारण समर्थ उत्पादक बन जाते हैं। इस तरह नई तालीम के द्वारा देश में शिक्षित तथा वैज्ञानिक मजदूरों का एक-वर्गीय समाज कायम हो जाता है।

समग्र ग्राम-सेवा का कार्य

गांधीजी उपर्युक्त मनोविज्ञान तथा शैक्षणिक कार्यक्रम मात्र से ही संतुष्ट नहीं थे। यह सही है कि अहिंसा में इन प्रक्रियाओं का सबसे अधिक महत्व है, लेकिन साथ ही अगर समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया न जाय तो प्रतिकूल परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रम भी विफल हो सकता है। इसलिए वे देश को एक महान सामाजिक क्रान्ति के लिए तैयार करना चाहते थे। इस दिशा में उन्होंने मुल्क के सामने समग्र ग्राम-सेवा द्वारा जन-स्वावलंबन का कार्यक्रम रखा। जहाँ वे हुजूरों के विवेक पर असर कर उन्हें मजूर बनने की प्रेरणा देते थे, वहीं वे देहाती उत्पादक वर्ग के लोगों में इस बात की चेतना पैदा करना चाहते थे कि वे हुजूरों की उन सेवाओं को इन्कार करने की शक्ति संगठित करें, जिनके बहाने हुजूर लोग उनका शोषण करते रहे हैं, अर्थात् बन्दर और बिल्ली की कहानी की भूमिका में अगर कहा जाय तो जहाँ वे बन्दरों को अपने-आप रोटी पैदा करके गुजर कर शोषण छोड़ देने की बात कहते थे, वहाँ बिल्लियों को अपने आप रोटी घांट कर खाने का सदेश सुनाते थे, ताकि उन्हें किसी दूसरे के पास रोटी घंटवाने की सेवा लेने के लिए न जाना पड़े।

उन्होंने इस आन्दोलन के लिए सबसे पहले नेतृत्व की तब्दीली की बात की। आज जितने भी आन्दोलन चल रहे हैं उनके नेतृत्व बाबू वर्ग के लोगों के ही हाथ में हैं, हालांकि जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है, वे हितैषी बाबू लोग हैं। लेकिन वर्ग-हीन समाज कायम करने का नेतृत्व अगर ऐसे लोगों के हाथ में रहे, जिनमें उत्पादन करके अपना गुजारा करने की शक्ति नहीं है तो आन्दोलन के सफल होने पर यह नेतृत्व बिना पैदा करके खाने का

कोई-न-कोई जरिया ढूँढ लेगा, यानी वे स्वावलंबी समाज की बात न सोच कर संचालित समाज की ही बात करेंगे, क्योंकि ऐसे समाज में संचालक का काम करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी अर्थात् नेतृत्व अगर जिनके हाथ में आज है उन्ही पर रह गया तो आन्दोलन को धोखा होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए गांधीजी ने पहला नारा यह लगाया कि हमें इस समाज-क्रान्ति के लिए सात लाख नौजवान चाहिए, जो सात लाख गांवों में जाकर वर्ग-परिवर्तन कर उत्पादक श्रम द्वारा अपना गुजारा करें और समग्र ग्राम-सेवा से प्रत्येक देहात को स्वयं पूर्ण बनावें।

गांधीजी ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था कि आज मजदूर वर्ग बे-होश है। अतः उनका नेतृत्व किसी बाहोश व्यक्ति को ही करना होगा। ऐसा होश हुआ-वर्ग के लोगों में ही है, अतः उन्हीको मजदूर बनकर नेतृत्व तब्दीली का उद्देश्य सिद्ध करना होगा। मजदूर से तो कहना होगा कि तुम अपना काम अपने-आप चलाओ और दूसरे द्वारा अपने को शोषित न होने दो, पर ऐसी बात कहे कौन? क्या हम कहनेवाले उनसे यह बात कहें कि हम तुम्हें रास्ता बताने की सेवा देते हैं, अतः हमारी सेवा तो ले लो और उसके एवज में हमको बिना पैदा करके खाने दो लेकिन दूसरे की ऐसी सेवा लेने से इन्कार करो जिससे वे बिना पैदा करके तुम्हारे श्रम से उत्पादित सामग्री का उपभोग न कर सकें, क्या ऐसा कहना सुसंगत होगा? इस प्रकार विश्लेषण कर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग-हीन समाज की क्रान्ति के नेतृत्व के लिए सबसे पहले देश के हुआ-वर्ग के नौजवानों को मजदूर बनकर मजदूरों में विलीन होना होगा और शोषण की प्रक्रिया से असहयोग करने का आन्दोलन चलाना होगा, वरना वर्गहीन समाज की बात कोरे आदर्श के रूप में रह जायगी।

इस तरह गांधीजी ने सात लाख नौजवानों को मजदूर बन कर मजदूरों का प्रत्यक्ष नेतृत्व स्थापित करने के बाद देहाती जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आंतरिक व्यवस्था के लिए स्वावलंबी बनाने का संगठन करने को कहा, जिससे वे समाज में अति विकसित व्यवस्थापकों तथा वितरकों

के हाथ से मुक्ति पा सकें। इस दिशा में उन्होंने चरखा संघ आदि संस्थाओं के कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन किया जिससे सभी कार्यक्रम पूर्ण ग्राम-स्वावलंबन की दिशा में चल सकें।

सक्षेप में गांधीजी ने परिवर्तन की दिशा में दुनिया को दुधारा मंत्र दिया। शोषक वर्ग को शोषण छोड़कर उत्पादक बनने के लिए उनकी विवेक बुद्धि को जाग्रत किया और शोषित वर्ग को शोषण से असहयोग करने का सगठन करने को कहा, जिससे शोषक वर्ग को अब शोषण करने की गुंजाइश नहीं रह जायगी, ताकि परिस्थिति की मजबूरी के कारण वे अपने को मजदूर बनाकर वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की ओर अग्रसर हो सकें।

व्यक्ति नहीं, पद्धति बदलनी है

उपर्युक्त आन्दोलन के सदेश से उन्होंने दुनिया को एक नया मंत्र दिया। उन्होंने क्रान्ति का एक नया क्रान्तिकारी तरीका बताया। जैसाकि हमने पहले ही कहा है, व्यक्ति कुछ नहीं है, पद्धति ही असली चीज है। उसीके कारण मनुष्य सुखी या दुःखी होता है। अतः अगर दुःख से मुक्त होना चाहते हो तो पद्धति बदलो, न कि व्यक्ति। वस्तुतः केन्द्रीय राज्यवाद तथा पूंजीवाद के कारण व्यवस्था-वितरण का जो कार्य है उसीने हुजूरों की आवश्यकता की सृष्टि की और जबतक समाज में उस कार्य की आवश्यकता रहेगी तबतक यह वर्ग किसी-न-किसी नाम से कायम रहेगा। इसलिए गांधीजी विकेन्द्रित तथा स्वावलंबी उत्पादन और व्यवस्था द्वारा उस कार्य को ही समाप्त करना चाहते थे, जिसके कारण आज की वर्ग-विषमता का संकट संसार भर में फैल गया है।

श्रम-विभाजन की बात

देश के पढ़े-लिखे लोगों को जब यह बात बताई जाती है तो वे कहते हैं कि आप एकतरफा बात कहते हैं। यह क्या जरूरी है कि सभी लोग धारीरिक और मानसिक दोनों श्रम करें? वे श्रम-विभाजन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि आखिर मनुष्य धर्मियों की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा संस्कृति एक-ही नहीं होती। वे कहते हैं कि प्रकृति की विचित्रता के कारण विभिन्न

व्यक्तियों में विभिन्न शक्तियां होती हैं और समाज की उन्नति के लिए उन शक्तियों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। ऐसा कहकर श्रम-विभाजन के बहाने वे कुछ लोगों को मानसिक श्रमवाले और कुछ लोगों को शारीरिक श्रमवाले बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि दोनों ही श्रमिक होने के कारण एक ही वर्ग में शामिल हो सकते हैं। विनोबाजी के शब्दों में वे श्रमिक वर्ग में भी राहु और केतु के रूप में वर्ग करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मानसिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक के रूप में दो वर्ग चलाने पर वर्गहीन समाज का उद्देश्य सिद्ध होगा? फिर तो मानसिक श्रमवाले शारीरिक श्रमवाले पर हुकूमत कर उनका शोषण ही करने लगेंगे।

आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग मानसिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक के रूप में दो वर्ग रखना चाहते हैं वे प्राचीन वर्ग-व्यवस्था के खिलाफ हैं। वे अपने को प्रगतिशील कहकर वर्गप्रथा को प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कहते हैं। वस्तुतः अगर बौद्धिक श्रमिक तथा शारीरिक श्रमिक यानी ब्राह्मण और शूद्र रूपी दो वर्ग रखना है तो समाज की उन्नति के लिए वर्ग-व्यवस्था ही ज्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि अगर दो अलग ही वर्ग रखना है तो पैतृक गुण का लाभ समाज को क्यों न मिले?

वे प्रकृति के नियम और विज्ञान की बात करते हैं। क्या उनके वैज्ञानिक प्राणितत्त्व में ऐसी बात भी है कि कुछ लोगों का केवल मस्तिष्क बना है और कुछ का शरीर। कुदरत ने मनुष्य को शरीर और मस्तिष्क दोनों दिया है। उसने मानव को बौद्धिक तथा शारीरिक शक्ति दोनों से विभूषित किया है इसलिए कि प्रत्येक मनुष्य दोनों को चलाकर प्रकृति में से ही अपने को जिन्दा रखने का साधन निकाल ले और सृष्टि की रक्षा करता रहे। अगर मनुष्य इस नियम का उल्लंघन कर अपने को मानसिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक में विभाजित कर ले तो वह प्रकृति का विद्रोह करता है और प्रकृति इस विद्रोह का प्रतिशोध लेकर ही रहेगी। आज हम दुनिया में जो वर्ग-विषमता का ज्वालामुखी देख रहे हैं, वह कोई खास बात नहीं है, वह

प्रकृति द्वारा प्रतिशोध का प्रदर्शन-मात्र है। अतएव अगर हम समाज को स्थिर तथा शांत देखना चाहते हैं तो हमें वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति बुलंद कर मानव-समाज से इस द्रोह का अन्त करना ही होगा।

भूदान-यज्ञ और वर्ग-परिवर्तन

संत विनोबा द्वारा प्रवर्तित भूदान-यज्ञ वर्ग-परिवर्तन-क्रान्ति का एक महान तथा व्यावहारिक कदम है। वस्तुतः आज भूमिहीन मजदूर अत्यन्त शोषित वर्ग है और इसका शोषण इसलिए होता है कि उत्पादन का मूलसाधन भूमि पूँजी के कब्जे में है। भूमिपति, जिन्होंने पूँजी लगाकर जमीन प्राप्त की है, श्रमिकों के श्रम से लाभ उठाकर उच्च वर्ग यानी हुजूरवर्गीय बने हुए हैं। विनोबाजी, भूमि किसी की संपत्ति नहीं है, यह सिद्धान्त बताकर कहना चाहते हैं कि भूमि की उत्पादित सामग्री उन्हींके उपभोग में आनी चाहिए, जो उसपर श्रम करे। इस सिद्धान्त के अनुसार वे भूमिपतियों को भूमि पर श्रम कर अपने को मजदूर वर्ग में परिवर्तित करके मजदूरों में विलीन होने को कहते हैं। भूमिदान कहता है कि जिनके पास अधिक भूमि है वे जितने पर खुद अपने शरीर-श्रम से पैदा कर सकते हैं उतनी अपने पास रख कर बाकी भूमि उनको दे दे, जो उसपर परिश्रम तो करते हैं, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है।

विनोबा की चेतावनी

विनोबाजी का भूमिपतियों से ऐसा करने को कहना कोई त्याग और मेहरवानी का आवाहन नहीं है। यह मानव-समाज की, देश की और उनकी निजी स्वार्थ-रक्षा के लिए एक सामयिक चेतावनी है। जैसाकि मने पहले ही कहा है, आज की दुनिया में वर्ग-विपमता का संकट इस पराकाष्ठा पर पहुँच चुका है कि हुजूरों के योज से मजदूर दबकर मर रहे हैं और अत्यधिक तादाद हो जाने के कारण शोषण के अभाव से हुजूर मूखकर मर रहे हैं। यही हालत थोड़े दिन जारी रही तो दोनों के मरने पर मृष्टिनाश यानी गर्व-नाश हो जायगा। लेकिन प्रकृति यानी मृष्टि की मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षा है, इसलिए वह अपने को मरने नहीं देगी और जिन्दा रहने के लिए कोई-न-कोई

उपाय निकालेगी। यही कारण है कि आज का जमाना पुकार-पुकार कर वर्गहीन समाज की माग कर रहा है। मंने कहा है कि वर्गहीन समाज दो ही तरीके से कायम हो सकता है। मजदूर द्वारा हुजूरों का कत्ल या हुजूरों का मजदूर बनकर मजदूरों में विलीन होना। आज विनोबा महात्मा गांधी के विलीनीकरण के मंत्र से हुजूरवर्ग को दीक्षित करना चाहते हैं। अगर हुजूर घृणा, शान या क्रोध के कारण इस दीक्षा को इन्कार करते हैं तो वे देश और दुनिया और उनके साथ-साथ अपने को ज्वालामुखी के मुख पर ढकेलते हैं।

वस्तुतः आज भारत के नौजवानों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। आज के युग ने एक महान चुनौती दी है। इस चुनौती की बात विनोबाजी देश भर में घूम कर लोगों के कानों तक पहुंचा रहे हैं। वह बात है कि क्या नौजवान वर्ग-विपमता के ज्वालामुखी को सामान्य प्रकृति के हाथ में छोड़कर, उसे प्रज्वलित होने देकर सृष्टिनाश यानी सर्वनाश होने देंगे या प्रकृति पर पुरुष के नियंत्रण से सर्वनाश को टाल कर सर्वोदय की स्थापना करेंगे? यह तो स्पष्ट ही है कि वर्ग-विपमता का जो महान सकट आज दुनिया में खड़ा है वह ज्यो-का-त्यो स्थिर नहीं रह सकता। वर्ग-संघर्ष या वर्ग-परिवर्तन किसी-न-किसी रूप में कोई-न-कोई आन्दोलन खड़ा होकर ही रहेगा। अगर जवान अपने पुरुषार्थ से इस चुनौती के जवाब में वर्ग-परिवर्तन की महान क्रान्ति कर इस विपमता की आग को सहज में ही बुझा नहीं सकेंगे तो पुरुष के पुरुषार्थ के अभाव में वर्ग-संघर्ष की जो आग पहले से ही सुलग चुकी है, प्रकृति देवी उसीको अपना सहारा बनाकर वर्ग-विपमता दूर करने की कोशिश करेगी। उससे विपमता की आग बुझने के बजाय और प्रज्वलित होकर संसार को सर्वनाश की ओर ले जायेगी।

मुझे आशा ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि भारत के नौजवान अपनी फाहिली और कायरता के कारण इस चुनौती को यो ही न जाने देंगे, बल्कि संत विनोबा द्वारा प्रवर्तित अहिंसक क्रान्ति में हजारों की तादाद में अपनी आहुति देकर अपनी पीढ़ी की शान और आन की रक्षा करेंगे।

: ६ :

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—आपने वर्गविहीन समाज कायम करने के लिए जो दो तरीके बताये हैं, उसमें हिंसा के प्रति अन्याय किया है। आपने कहा है—“एक हिंसात्मक तरीका और दूसरा अहिंसात्मक क्रांति।” माना कि आप हिंसा को अवाञ्छनीय मानते हैं, लेकिन वह क्रान्ति नहीं है, ऐसा कहना ज्यादाती नहीं है क्या ?

उत्तर—आपके प्रश्न से ऐसा मालूम होता है कि आपने क्रांति किन्ने कहते हैं इसपर गंभीर विचार नहीं किया। क्रांति का मतलब विध्वंस नहीं, बल्कि परिवर्तन है। एक व्यक्ति क्रांति करना चाहता है, इसका मतलब यह है कि वह लोगों की धारणा तथा मूल्यांकन में परिवर्तन लाना चाहता है और जब वह समझता है कि लोगो में परिवर्तन हो नहीं सकता तब वह कत्ल करता है; अर्थात् हिंसा अविश्वास का इजहार है। ऐसी अविश्वासी प्रवृत्ति से क्रांति सध सकती है क्या ?

आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे कि हिंसात्मक क्रांति के नाम से सप्ताह में जहा कही कुछ हुआ है, वहा और चाहे जो कुछ हुआ हो, क्रांति की सिद्धि नहीं हुई है, अर्थात् परिवर्तित समाज स्थापित नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने हिंसा द्वारा दमन करके समाज को एक ढाँचे में डालने की कोशिश की और इस परिवर्तन को अनन्तकाल तक दबाकर कायम रखने की चेष्टा की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ ? अगर हिंसा द्वारा समाज में कोई परिवर्तन हुआ दीखता है और उसे हिंसा द्वारा दबाकर ही कायम रखना पड़ता है तो परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। क्रांति की मिद्धि की पहचान परिवर्तित समाज के गहज छोड़ने पर ही हो सकती है। अगर परिवर्तित स्थिति अपने-आप स्थिर नहीं रह सकती, तो वह क्रांति नहीं, क्रांति की भाँति मात्र है।

आजकाल चिकित्सा-शास्त्र में डायबेटीज रोग का एक इलाज निकला

है। रोगी को आजीवन प्रतिदिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। एक दिन भी इंजेक्शन न ले तो उसके शरीर की शक्कर उभड़ आती है, और इसे डाक्टर लोग इलाज कहते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि वह रोगी रोगमुक्त हो गया? इसी तरह अगर लगातार गोली के निशाने पर समाज का मुंह एक दिशा में रखने की जरूरत पड़े तो क्या आप कह सकते हैं कि उसका मुंह उधर ही हो गया?

इसलिए मेरा कहना है कि अगर वास्तविक क्रांति करनी है तो वह अहिंसा से ही सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अहिंसा स्थायी रूप से मनुष्य की धारणा तथा समाज के मूल्यांकन में परिवर्तन करती है।

प्रश्न—लेकिन आज हिंसा इतनी बढ़ रही है कि उसने गांधीजी को भी कत्ल कर दिया। सारे सप्ताह में एटम बम इत्यादि शस्त्रों के बनाने की होड़ लगी हुई है। ऐसी स्थिति में अहिंसा कैसे चलेगी?

उत्तर—इसीलिए तो आज अहिंसा चलनेवाली है। क्रांति का जन्म तभी होता है जब सप्ताह में प्रतिक्रियावादी शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर से क्रांतिकारी शक्ति का जन्म होते ही प्रतिक्रियावादी शक्ति आत्मरक्षा की अंतिम चेष्टा में अपनी शक्ति भर विराट रूप धारण करती है। कंस का अत्याचार बढ़ने पर कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म लेते ही कंस का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। लेकिन आपने देखा कि बालक कृष्ण को पालनेवाली यशोदा और गोकुलवासी, कंस के अत्याचार से किंकर्तव्यविमूढ नहीं हुए और विश्वास के साथ कृष्ण को मक्खन खिला-खिला कर मजबूत किया। पुराण की कहानी में कंस-विनाशकारी शक्ति थी और कृष्ण क्रांतिकारी।

उसी प्रकार आज के युग में हिंसा की विनाशकारी शक्ति को बढ़ते देख गांधीजी ने अहिंसा की क्रांतिकारी शक्ति पैदा की। तभी से हिंसा के विकास की भी तेजी बढ़ी। आप लोग जो अपने को क्रांतिकारी कहते हैं, उन्हें इस हिंसा का विकास देख कर घबड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि गोकुलवासी की तरह विश्वास के साथ अपनी जिन्दगी और तपस्या से सीचकर इस क्रांतिकारी

शक्ति को बढ़ाना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आज हिंसा चाहे जितना विराट रूप धारण किये हुए हो, उसकी समाप्ति अवश्यम्भावी है।

प्रश्न—आपने वर्ग-परिवर्तन की बात की है, वर्ग-संघर्ष को कतई स्थान नहीं दिया है। इससे आपने सृष्टि के एक बुनियादी तत्त्व को ही इन्कार किया है। आखिर वर्ग-संघर्ष भी तो अहिंसक ढंग से किया जा सकता है। गांधीजी और विनोबाजी भी तो हमेशा सत्याग्रह की बात करते हैं। क्या यह संघर्ष का ही अहिंसक रूप नहीं है ?

उत्तर—मालूम होता है कि आप अभी भी रूढ़ विचार के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नई क्रांति की बात समझने के लिए स्वतंत्र विचार की आवश्यकता है। आखिर उद्देश्य क्या है ? साम्य की प्रतिष्ठा या वर्ग-संघर्ष ? वस्तुतः कठिनाई यह है कि अधिकांश लोग अपने सामने गणेशजी जैसी एक मूर्ति रखकर अहिंसक क्रांति की आराधना करना चाहते हैं—यानी हिंसा के आधार पर जो धारणाएँ और मूल्यांकन रूढ़ हो चुके हैं, उसके सारे कलेवर को ज्यों-का-त्यों कायम रखते हुए उसके सिर से हिंसा काट कर अहिंसा रख देने मात्र में ही अहिंसक क्रांति की मूर्ति बन जाती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अहिंसक क्रांति एक स्वतंत्र तथा मौलिक वस्तु है। आखिर अहिंसा में संघर्ष कहा ? अहिंसा के मूल में तो सहयोग ही है।

वस्तुतः आप लोग जो यह समझ बैठे हैं कि प्रकृति का मूल तत्त्व संघर्ष ही है, उसीमें गलती है। ऐसा समझना पश्चिमी एंकागी विचार के असर का नतीजा है। हा, इतना आप कह सकते हैं कि प्रकृति में संघर्ष भी है। लेकिन संघर्ष और सहयोग में सहयोग की ही प्रधानता है। प्रकृति के सारे हिस्से एक-दूसरे से बंधे हैं और उनमें सामंजस्य तथा सतुल्य है। वह वस्तुस्थिति ही सहयोगिता का प्राधान्य साबित करती है। अगर संघर्ष की प्रधानता होती तो सारी सृष्टि कब की विपरीत गई होती।

यह गही है कि अहिंसा के क्षेत्र में भी विचार-भेद होता है, लेकिन इस भेद में विचार-संघर्ष पैदा नहीं होता, बल्कि विचार-संघर्ष होता है। संघर्ष के नतीजे में आचार निर्दिष्ट होता है और सहयोग के आधार पर यह

आचार मूर्तिमान होता है ।

आपके प्रश्न से दीखता है कि गांधीजी या विनोबाजी के सत्याग्रह की बात पर आपने गहराई से सोचा नहीं है । इसलिए जरूरी है कि आपको सत्याग्रह और संपर्प के बारे में स्पष्ट धारणा हो । सत्याग्रह का मतलब विरोध नहीं है । सत्य के लिए आग्रह—यही सत्याग्रह है । हम इस सत्य को मानते हैं कि भूमि उसके पास होनी चाहिए जो उसपर परिश्रम करे । इस सत्य को स्थापित करने के लिए घर-घर भूमि मागना सत्याग्रह है और निर्भर होकर अपने हक पर डटे रहना भी सत्याग्रह है । अगर कोई किसान बेदखल होता है और निर्भय होकर वह उस जमीन पर डटा रहता है तो विरोध वह किसी का नहीं करता है । सिर्फ इतना ही करता है कि कापुरूप जैसा अपने हक को छोड़कर भाग नहीं जाता ।

संपर्प में दोनों पक्षों की ओर से वार होता है । सत्याग्रह में ऐसा नहीं होता । सत्याग्रही अपने सत्य-पक्ष पर स्थिर रहता है और दूसरे पक्ष के वार से दबने से इन्कार मात्र करता है । यह संपर्प नहीं, सत्याग्रह है । जो लोग अहिंसक क्रांति की बात सोचते हैं उन्हें इस तत्व को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अन्यथा वे अहिंसा का नाम लेते रहेंगे, लेकिन पुरानी धारणाओं के कारण अपने काम में दिशा-भ्रष्ट होकर प्रच्छन्न हिंसा की ओर बहकेंगे । अन्ततोगत्वा वे विफलता के गर्त में गिरेंगे और परिस्थिति को प्रतित्रातिकारी शक्ति के हाथ में सौंप देंगे ।

∴ प्रश्न—आप भी शासनहीन और वर्गहीन समाज की बात करते हैं, फिर आपमें और कम्युनिस्टों में क्या फर्क है ?

उत्तर—कम्युनिस्ट ऐसी बात करने में सिर्फ स्वप्न-द्रष्टा है और हम व्यावहारिक स्थिति की बात सोचते हैं । कम्युनिस्ट कहते हैं कि वे शासनहीन समाज कायम करना चाहते हैं, लेकिन वे करते हैं नित्य प्रतिदिन शासन का अधिकतर संगठन । वे कहते हैं कि इस प्रकार शासन संगठन पूर्ण होने पर आखिर में सूख जायगा । वैज्ञानिक तत्व के अनुसार शायद यह सही है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि किसी का पूर्ण विकास हो चुकने

का अवसर अवश्य रहेगा, लेकिन किसी के लिए कोई काम खास नहीं माना जायगा ।

कम्युनिस्ट उत्कट केन्द्रीकरण के द्वारा अलग से एक विराट व्यवस्था-पक वर्ग की सृष्टि कर रहे हैं । इस तरह वे हैंड्स (Heds) और हैंड्स (Hands) के वर्गीकरण से वर्ग-विपमता मिटाने के बजाय उसे मज-बूत करते जा रहे हैं । रेलों के डिब्बों में जैसे फर्स्टक्लास, सेकेंडक्लास, इंटरक्लास और थर्डक्लास है, उसी तरह समाज में भी चार वर्ग हैं — सामन्त वर्ग, पूजीपति वर्ग, व्यवस्थापक वर्ग और शरीर-श्रमिक वर्ग । केवल फर्स्ट और सेकेंड क्लास हटाने से ही काम नहीं चलेगा । इंटरक्लास भी हटा कर समाज में शुद्ध जनता एक्सप्रेस चलानी होगी ।

प्रश्न—आपने कहा है कि हम लोगो ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है, क्रांति नहीं की । फिर वह राजनैतिक क्रांति किस दिशा में होगी और उसका स्वरूप क्या होगा ?

उत्तर—आजकल दुनिया का राजनैतिक ढांचा उलट गया है । किसी भी पेड़ की जड़ वहां रहती है, जहां से वह पोषण लेता है और उसकी फुनगी आरामान की ओर रहती है । आज का राजनैतिक वृक्ष देहातों से पोषण लेता है, लेकिन उसकी जड़ है दिल्ली में और फुनगी देहातों में, अर्थात् आधुनिक राजनीति शीर्षासन कर रही है । कभी-कभी २-४ मिनट तक शीर्षासन करना तो अच्छा होता है और इससे शरीर का तेज भी बढ़ता है, लेकिन अगर कोई स्थायी रूप से शीर्षासन ही करता रहे तो उसके सिर पर खून चढ़ जायगा । राजनीति में भी अगर एकाध बात की जड़ दिल्ली में रहे तो ठीक है, उससे समाज में तेजस्विता भी आ सकती है लेकिन आज की राजनीति चूक अनवरतरूप से शीर्षासन ही करने लगी है इससे उसके सिर पर खून चढ़ गया है । नतीजा यह कि संसार के राष्ट्रों में तानाशाही का जमघट हो रहा है और युद्ध की तैयारी की होड़ लग रही है ।

राजनैतिक वृक्ष को उलट कर उराकी जड़ देहातों में करना ही हमारी राजनैतिक क्रांति है । इसके लिए आपको अपने विधान में आमूल

परिवर्तन करना होगा। आज सविधान सभा दिल्ली में बैठती है। सर्वोदय विधान बनाने के लिए प्रथमतः यह सभा देहातो में बैठेगी। देहात के लोग अपनी शक्ति के अनुसार ग्रामराज्य की जिम्मेदारी तय करेंगे और शक्ति के बाहर के मदों को ऊपर की जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ायेंगे। जिला सभा उसमें से अपनी शक्ति के अनुसार जिम्मेदारी रखकर बाकी आगे बढ़ायगी। इस तरह क्रमशः आगे बढ़ते हुए आखिरी वचत के अन्तर्राष्ट्रीय सभा तक पहुँचने पर अखण्डविश्व (One World) की कल्पना मूर्तिमान होगी।

हो सकता है कि देहाती सभाओं के प्रतिनिधि, जो जिलों में मिलेंगे, बाद को देहाती जिम्मेदारियों में किञ्चित् हेरफेर करके उनमें कुछ समानता लावे और उसी तरह उससे ऊपरवाले नीचेवालों का मार्ग-दर्शन करें। लेकिन मूलतः सविधान का ढाँचा इसी तरह से बनाना होगा।

प्रश्न—आपकी बातों से ऐसा दीखता है कि आप पार्लामेन्ट्री शासन को गणतंत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते। आखिर उसमें दोष क्या है ?

उत्तर—मैंने पहले ही कहा है कि पूरी पार्लामेंट दंड-शक्ति की मूर्ति है और विरोधी दल भी उसी का एक बाजू है। पार्लामेन्ट्री पद्धति में स्वतंत्र शिव-शक्ति की कही गुजाइश नहीं है। नतीजा यह होता है कि जनता तकलीफ होनेपर भी कोई स्वतंत्र कदम नहीं उठा सकती। जैसे रोगी तकलीफ होने पर करबट बदलता रहता है उसी तरह परेशान जनता पार्टी बदलती रहती है।

इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा व्यावहारिक दोष है। पार्लामेन्ट्री पद्धति में जनता की शक्ति और कोप का अपव्यय होता है। एक पार्टी आती है, कुछ योजना बनाती है, उसके लिए राष्ट्र की शक्ति और संपत्ति खर्च करती है और फिर दूसरी पार्टी आकर उसको रद्द करके दूसरी योजना बनाती है।

इस तरह योजनाओं की कबड्डी खेलकर राष्ट्रीय साधन की कितनी बर्बादी की जाती है, इसका अन्दाज आप लगा सकते हैं। इसके उदाहरण के

लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। पार्लामेंट्री पद्धति को माननेवालों के लिए ब्रिटिश पार्लामेंट एक उत्कृष्ट मिसाल है। पिछले दिनों इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले में उसी इंग्लैंड में क्या दशा हुई, यह आप सबको पता ही है।

प्रश्न—विनोबाजी कहते हैं कि भूमि किसी की संपत्ति नहीं है, वह ईश्वर की है। क्या ईश्वर आकर उसकी व्यवस्था करेगा? आखिर भूमि का समाजीकरण आवश्यक है। सर्वोदय-सिद्धांत के अनुसार इसका स्वरूप क्या होगा?

उत्तर—इसका जवाब तो विनोबाजी ने खुद दिया है—भूमि का ग्रामीकरण होगा। लेकिन इस ग्रामीकरण शब्द से भी भ्रम होने की संभावना है। ग्रामीकरण तीन तरह का हो सकता है :

१. सारी भूमि ग्राम-पंचायत की हो, पंचायत खेती करे, गांव के लोग उसपर मजदूरी करें। खेती में जो बचत हो वह पंचायत की आय हो और उस आय से पंचायत ग्राम की भलाई और व्यवस्था का काम चलावे।

२. सारी जमीन ग्राम पंचायत की हो और सब लोग उसपर सहकारी खेती करें। परिवारों के चालू खर्च को चलाने के लिए लोग कुछ दैनिक मजदूरी भी लेते रहें, लेकिन बचत श्रम के अनुपात से आपस में बांट लें। गांव की व्यवस्था के लिए लोग व्यक्तिगत कर दें।

३. जमीन सब पंचायत की हो। पंचायत परिवारों की आवश्यकता तथा क्षमता के अनुपात से भूमि का वितरण करे और लोग मुख्यतः व्यक्तिगत खेती करें। सिंचाई आदि कुछ कामों के लिए आवश्यकता पड़ने पर आंशिक या पूर्णतया सहकारी पद्धति चलायें। पंचायत कुछ जमीन सार्वजनिक भूमि के रूप में रखे, जिसपर खेती श्रमदान-युक्त से हो और उसकी उपज से सार्वजनिक कार्य तथा ग्रामव्यवस्था चले।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, सर्वोदय, सामाजिक-व्यवस्था कायम रखते हुए हरेक व्यक्ति का पूर्ण विकास चाहता है। इस उद्देश्य की सिद्धि में तीसरा तरीका ही उपयोगी सिद्ध होगा। व्यक्ति के अलग से

खेती करने पर उसमें स्वतंत्र प्रेरणा-शक्ति का विकास हो सकेगा और साथ-साथ गांव की सामूहिक खेती के लिए नियमित रूप से श्रम-यज्ञ में आहुति देते रहने से उसमें सहयोग-वृत्ति तथा सामाजिकता का विकास होता रहेगा; अर्थात् व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रगति के साथ सामाजिकता का सामंजस्य होने पर मनुष्य तथा समाज का सन्तुलित विकास होता रहेगा।

प्रश्न—भूमिदान-यज्ञ से भूमि का बंटवारा हो जायगा, यह तो समझ में आता है, लेकिन आज जो बड़े-बड़े पूजीपतियों के पास संपत्ति पड़ी है उसका बंटवारा कैसे होगा और उसके लिए आप कौन-सा कार्यक्रम और आंदोलन चलाना चाहते हैं।

उत्तर—इसी के लिए तो विनोबाजी ने संपत्ति-दान की बात शुरू की है। कोई भी व्यावहारिक क्रान्तिकारी एक-एक करके कदम उठाता है। विनोबाजी ने पहले भूमिदान-यज्ञ आंदोलन शुरू किया। जब उन्हें मालूम हो गया कि भूमिदान-यज्ञ का पैर जम गया तो संपत्तिदान की बात की और अब इस पर जोर भी देने लगे हैं। यह सही है कि अभी आमदनी का ही छठा हिस्सा मांगा जा रहा है, लेकिन विनोबाजी हमेशा कहते हैं कि उनकी यह मांग पहली किस्त की मांग है। उन्हींके शब्दों में कहें तो वे संपत्ति के अन्दर एक फूँचर ठाँक देना चाहते हैं। क्रमशः आपको मूल पूजी का दान भी मागना होगा।

दूसरी ओर वे भूमिदान-यज्ञ और केंद्रित उद्योग बहिष्कार को मीताराम की तरह अभिन्न मानते हैं। भूमि-वितरण-आंदोलन के तरीके में और संपत्ति-वितरण-आंदोलन के तरीके में फरक है। अगर किसी राजा ने मारी जमीन मिल जाय तो उसे मंठिन कर उत्पादकों में बाटा जा सकता है, लेकिन पूजीपति ने अगर मारा-बा-भारा फारसाला मिल जाय तो उसके टुकड़े करके बाटा नहीं जा सकता। इसलिए इस दिशा में दोरगा आंदोलन चलाना पड़ेगा। एक ओर ने संपत्तिदान तथा पूजीपतियों में संपत्ति और पूजी का दान मागना होगा और दूसरी ओर में केंद्रित उद्योग के बहिष्कार और घामोंदोंग के मगटन का आन्दोलन चलाने उद्योगों को विकेंद्रित

करना होगा। देश के विकेंद्रित उद्योगीकरण के बाद लोगों के पास जो पूजी एकत्रित हुई है वह अनुत्पादक होकर खत्म हो जायगी। संपत्तिदान-यज्ञ से इस प्रकार की पूजी के खत्म होने की प्रक्रिया में वेग आयगा।

यह सही है कि कुछ ऐसे उद्योग रह जायेंगे, जिन्हें केंद्रित ढंग से ही चलाया जा सकता है। ऐसे उद्योग पूजी-निरपेक्ष नहीं हो सकेंगे। ऐसे उद्योगों को श्रमिकों की सहकारी समिति के हाथ में सौंपना होगा। संपत्ति-दान यज्ञ का आन्दोलन आगे बढ़ने पर आपको पूरा-का-पूरा कारखाना भी मिलेगा। और जैसे पूरा-का-पूरा गांव मिलने पर उसकी व्यवस्था हम अपने आदर्श के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं उसी तरह पूरा-का-पूरा कारखाना मिलने पर उसे सामूहिक रूप से श्रमिकों द्वारा चलवाने का प्रयोग भी करेंगे और क्रमशः सारे अनिवार्य केंद्रित उद्योगों को श्रमिकों के हाथ में सौंप देने का आंदोलन चलायेंगे। ये सब कार्यक्रम संपत्तिदान-यज्ञ के अन्तर्गत हैं।

पुरानी धारणा के अनुसार आप कह सकते हैं कि ये सरकार के हाथ में क्यों न जाय। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको शासनहीन समाज कायम करना है तो सारा कार्यक्रम उसी दिशा में होना चाहिए। हमको दंड-शक्ति को क्षीण करने की बात सोचनी चाहिए, न कि उसे मजबूत करने की। वर्यो से देश के नेता शासन और न्याय-विभाग को अलग करने का आन्दोलन कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? इसलिए कि हमारी राय में अगर शासन और न्याय एक ही हाथ में रहेगा तो न्याय-शक्ति को शासन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जायगा। इसी तरह अगर हम दमन का साधन और उत्पादन का साधन एक ही हाथ में रखेंगे तो उत्पादन को दमन के काम में लाकर दंड-शक्ति अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि हम अनिवार्य केंद्रित उद्योगों को भी सरकार के हाथ में न रखकर जनता द्वारा चालित स्वतंत्र और सामूहिक संस्था के हाथ में सौंपना चाहते हैं।

प्रश्न—पश्चिमी औद्योगिक मुल्कों में भी विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है, तो उसमें और सर्वोदयी विकेंद्रीकरण में क्या फर्क है?

उत्तर—पश्चिम में जो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं उसमें उत्पादन की पद्धति बदलने की बात नहीं है। वे पूजीवादी पद्धति को बदल कर श्रमवादी पद्धति नहीं कायम करना चाहते। उनका विकेंद्रीकरण भौगोलिक है, यानी बम्बई में सारी कपड़े की मिल न होकर जिन इलाकों में रुई पैदा होती है उन इलाकों में जगह-जगह एक-एक मिल रखी जाय।

एक दूसरे किस्म का विकेंद्रीकरण जापान में चल रहा है। उसमें कुछ-कुछ कुटीर-उद्योगों की बात भी है, लेकिन वह पूजी-निरपेक्ष स्वावलम्बी पद्धति नहीं है। वह केन्द्रित पूजी संचालित दस्तकारी पद्धति है।

प्रश्न—लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में ग्रामोद्योगी विकेंद्रीकरण कैसे चलेगा? क्या आप विज्ञान को स्वावलम्बन की बलिवेदी पर चढ़ाना चाहते हैं?

उत्तर—यह सवाल प्रायः सभी आधुनिक पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग में आता है। इसका कारण यह है कि लोग विज्ञान का मतलब नहीं समझते। विज्ञान कोई एकांगी वस्तु नहीं है, वह तो प्रकृति के सर्वांगीण नियम के आधार पर बना है। किन्तु लोगों ने शायद विज्ञान का मतलब सिर्फ यंत्र-शास्त्र समझ लिया है। विज्ञान केवल यंत्र-शास्त्र नहीं है। राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर-तत्त्व आदि सब विज्ञान के विभिन्न अंग हैं। जो चीज विज्ञान के सारे अंगों का सामंजस्य नहीं रख सकती वह अवैज्ञानिक है। कोई यंत्र यंत्र-शास्त्र के अनुसार पूर्ण होने पर भी यदि राजनैतिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक मतुलन की रक्षा नहीं कर सकता तो वह अवैज्ञानिक यंत्र है और उगका इस्तेमाल विज्ञान के खिलाफ है। इसलिए हम उन यंत्रों को अवैज्ञानिक मानकर त्याग्य कहते हैं जिनके प्रचलन से राजनैतिक तानाशाही, आर्थिक बेकारी या अन्याय्य मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक दोषों की मूर्च्छा होनी है। एक छोटी-सी मिगाल लीजिए—साध का वैज्ञानिक उद्देश्य स्वास्थ्य-रक्षा है। अगर किसी किस्म की आटा पीगने या मेल पेरने की मशीन से निकले हुए आटे या तेल का साध-गुण घट आता है, या वह मशीन भले ही यंत्र के हिसाब से वैज्ञानिक हो, लेकिन साध-उत्पादन

के औजार के रूप में अवैज्ञानिक समझी जायगी। फिर यंत्र-शास्त्र एक शास्त्र है, कोई मशीन मात्र नहीं है। एक ही वैज्ञानिक नियम से छोटा या बड़ा यन्त्र बनता है। अगर मशीन छोटी हो तो लोगों की धारणा में अवैज्ञानिक है और बड़ी हुई तो वैज्ञानिक हो जाती है, ऐसा सोचना ठीक उसी प्रकार है जैसे देहात के लोग, बैंगन, कुम्हड़ा आदि के मामले में, यदि चीज छोटी हो तो उसे देशी और बहुत बड़ी हो जाने पर विलायती कहते हैं। आपको समझना चाहिए कि छोटी मशीन के आविष्कार में वैज्ञानिक बुद्धि अधिक लगानी पड़ती है।

दरअसल हम स्वावलम्बन की बलिवेदी पर विज्ञान को बलिदान नहीं करना चाहते, बल्कि आज की दुनिया में वैज्ञानिक विकास के नाम पर विज्ञान की जो हत्या चल रही है, उसे रोकना चाहते हैं।

प्रश्न—आपने जो बातें कही हैं वे सब ठीक हैं, लेकिन वे सब दूर की बातें हैं। अभी लोग अन्न बिना तडप रहे हैं—विदेश से अनाज मंगाना पड़ रहा है। ऐसी हालत में आपने भूमिदान छोड़कर 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन को पीछे छोड़ दिया है। लोगों के अन्न के बिना मर जाने पर किसे लेकर शासनहीन और शोषणहीन समाज बनेगा ?

उत्तर—ऐसा लगता है कि आपने कृषि का काम नहीं किया है। अधिक अन्न स्टेशनों के पोस्टरों में नहीं पैदा होता, वह तो जमीन पर ही पैदा होगा। जिसने थोड़ी भी खेती की है या कम-से-कम खेती का काम देखा है उसको मालूम है कि जो किसान अपने हाथ से खेती करते हैं उनकी पैदावार उन किसानों से कहीं अधिक होती है जो मजदूर द्वारा खेती करवाते हैं। वह भूमिहीन मजदूर जो दूसरे के खेत में काम करता है जब अपना खेत जोतेगा तो उसमें स्वभावतः अधिक पैदा होगा। भूमिदान यज्ञ का उद्देश्य जमीन की पैदावार उसीको देना है, जो उसपर श्रम करता है। इससे पैदावार बढ़ेगी या नहीं, यह आप खुद सोच सकते हैं।

प्रश्न—भूमिदान-यज्ञ से भूमिहीनों को जमीन मिल जाने पर जो जमीन भूमिदानों के पास रह जायगी उसके लिए मजदूर की तंगी होगी। तो

इससे उत्पादन में कमी तो होगी ही न ?

उत्तर—आखिर वही मजदूर सारी जमीन आज जोतता है न ? उसमें से थोड़ी-सी अगर मजदूर की मिल्कियत में चली जायगी तो जो शक्ति अबतक गाव की सारी जमीन जोतती थी वह दान द्वारा प्राप्त थोड़ी-सी जमीन में खप जायगी, यह हिसाब आपने कैसे मान लिया ? फिर आप ही लोग यह भी कहते हैं कि देश में बेकारी है । इसके अलावा तथ्य यह है कि भूमिदान-यज्ञ से देश में जो मानसिक क्रांति हो रही है और जिसके नतीजे से लोग यह बात समझ रहे हैं कि सबको श्रम करना ही है, वह क्रांति भूमिदानों को भी जमीन पर श्रम करने के लिए प्रेरित करेगी । जो लोग अबतक केवल मजदूर पर भरोसा करते थे वे जब थोड़ा-थोड़ा भी जमीन पर खुद काम करने लगेंगे तो उनके हिस्से की जमीन की भी पैदावार बढ़ेगी । मालिक के साथ काम करते देख मजदूर भी अधिक उत्साह से काम करेगा । तब मजदूर मजदूर बनकर नहीं, सहकारी बनकर मदद करेगा ।

प्रश्न—अबतक आपने सर्वोदय-विचार क्रांति की बात की, लेकिन दंडनिरपेक्ष तथा पूजा-निरपेक्ष समाज की रचना किस तरह से सिद्ध होगी ? उसके किसी व्यवस्थित कार्यक्रम के बिना हम कार्यकर्ता क्या करें ?

उत्तर—कार्यक्रम तो आंदोलन के सिलसिले में परिस्थिति के अनुसार सूझता रहेगा । आज उसका कोई कार्यक्रम नहीं बन सकता । मुख्य आवश्यकता यह है कि कार्यकर्ताओं का लक्ष्य स्थिर हो और दृष्टि स्पष्ट हो, फिर कार्यक्रम निकलना जायगा । विनोबाजी खुद ही एक के बाद दूसरा कार्यक्रम देश के सामने रख रहे हैं । फिर भी आपके समझने के लिए मैं एक सामान्य दिशा-निर्देश कर देता हूँ । भूमिदान-यज्ञ के कार्य में आपने आंदोलन का पहला कदम उठा लिया है । राध-नाथ केन्द्रित उद्योग बहिष्कार तथा मपत्ति-दान-यज्ञ का कार्यक्रम भी आपके सामने है । मान लीजिए, आप विगी घाने के कार्यकर्ता हैं । पहले आप विचार-प्रचार के माध-नाथ भूमिदान मांगेंगे । जब देखेंगे कि कुछ जमीन मिल गई है तब आप जमीन पर जाकर उग्रवद अध्ययन करेंगे । उग्रमें

कुछ परती होगी, कुछ ऐसी जमीन होगी जिसमें पानी की व्यवस्था करनी है, कुछ ऐसी भी जमीन होगी जो झगड़े की है, अर्थात् अधिकांश जमीन पर कुछ-न-कुछ समस्या है। इन समस्याओं के समाधान में आपको गाव के लोगों को संगठित करना होगा। इस संगठन के रूप में आप ग्रामराज्य स्थापना के लिए क्रांतिकारी इकाई की नींव डाल देंगे।

शुरू-शुरू में अच्छा यह होगा कि आप श्रमदान-यज्ञ का कार्यक्रम चलावें। इसमें आप गाव की सब श्रेणियों को शामिल कर सकेंगे। श्रमदान यज्ञ द्वारा परती जमीन तोड़ना, तालाब खोदना, बांध बांधना आदि कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं। जो लोग श्रमदान में साथ काम करेंगे उनमें विचार-क्रांति फैलेगी। आप भी बातचीत में अपनी सारी योजना बतायेंगे। धीरे-धीरे जो लोग नियमित रूप से समय देनेवाले हैं उनकी एक श्रमदान-यज्ञ समिति बन जायगी और जैसे-जैसे इस समिति का काम ठोस होता जायगा वैसे-वैसे केंद्रित उद्योगों के बहिष्कार का संकल्प-पत्र भरवाना, ग्रामोद्योग का संगठन और प्रौढ़-शिक्षा आदि कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकेगा। इस प्रकार श्रमदान यज्ञ से शुरू करके आप स्थानीय नेतृत्व तथा प्रेरणा पैदा करके एक संगठन खड़ा करेंगे। फिर वही संगठन क्रमशः पूजा तथा दड-निरपेक्ष समाज कायम करने की दिशा में निश्चित आंदोलन चलायगा। इसका स्वरूप सामान्यतः निम्न प्रकार का होगा :—

१. पूजा-निरपेक्ष समाज—सबसे पहले अन्न-वस्त्र-बहिष्कार आंदोलन के लिए समिति के सदस्य बहिष्कार के संकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर गाव के लोगों को समझाकर दूरदूरों में भी ऐसा संकल्प-पत्र भरवायेंगे। उसके लिए जलूम, सभा आदि का आयोजन भी करना होगा। समय-समय पर गाव के लोगों की चर्चा-मंडली चलानी होगी। जैसे-जैसे जन-मानस तैयार होगा और संगठन-शक्ति बढ़ेगी, केंद्रित उद्योग से उत्पादिन अन्न-वस्त्र की चीजों की बिक्री पर पिकेटींग करना होगा। एक राज्य में ग्रामोद्योग का संगठन तथा केंद्रित उद्योग-बहिष्कार में गाव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलम्बी बनाना होगा ताकि पूंजीवाद के नाशकार

से वे बाहर निकल सकें ।

२. **दंड-निरपेक्ष समाज**—आर्थिक आंदोलन में काफी प्रगति होने का मतलब है गाव के संगठन का मजबूत बनना। फिर वह संगठन राज-नैतिक आंदोलन का काम भी करेगा। राजनैतिक आंदोलन का मतलब आप जो समझते हैं, वह नहीं है अर्थात् गाव का वह संगठन दूसरों के हाथ से दंड छीनकर अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि समाज से दंड की आवश्यकता के खत्म करने का आंदोलन करेगा। इसके लिए ग्राम समिति को सरकार द्वारा संचालित महकमों की सूची बनानी पड़ेगी और उसमें से कुछ व्यवस्था छाटकर उसको चलाने की जिम्मेदारी समिति को सारे गाव के सहयोग में अपने ऊपर लेनी होगी। ऐसी समितियों का संगठन आप धाने भर में करें। जब ऐसी समितियों का संगठन काफी गावों में हो जाय और वे उत्पादन तथा व्यवस्था चलाने की शक्ति हासिल कर लें तो जैसे आप भूमिपतियों से भूमिदान और सपत्तिवालों से सपत्तिदान मांगते हैं उसी तरह से सत्ताधारी से सत्ता का दान मांगेंगे। ग्राम-समितियाँ सरकार से कहेंगी कि आपके अमुक-अमुक विभाग की जिम्मेदारी हम सहकार के आधार पर स्वावलम्बी व्यवस्था से चला लेंगे। आप इसकी जिम्मेदारी हम पर सौंप दें और उसके लिए आप अपना इतना जाम इस इलाके से उठा लें। आपकी इतनी जिम्मेदारी कम होने के कारण, उस मद में जिस अनुपात से खर्च होता है उतना कर इस इलाके से घटा दें। स्वभावतः इस लोक-युग में सरकार इसे मानेगी। लेकिन अगर सरकार की प्रकृति सर्वाधिकारवादी हुई तो वह इसे नहीं मानेगी। वह इन जिम्मेदारियों के वहाने जनता पर निरन्तर हावी रहना चाहेगी। वंसी हालत में जनता को यह कहने का हक होगा कि चूँकि अब हमें आपकी अमुक सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए उस सेवा के लिए हम अबतक जो भेहनताना देते रहे वह अब नहीं देंगे, यानी वे उग अनुपात में टैक्स देने से इकार करेंगे।

इस प्रकार का आंदोलन देशव्यापी होने पर कोई भी सत्ताधारी अपनी सत्ता को जबदस्ती जनता पर नहीं लाद सकता। लेकिन मुझे विश्वास

है, ऐसा आंदोलन चलाने लायक संगठन गाव-गांव में बन जाने पर करबन्दी आंदोलन तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इससे पहले ही मुल्क में जो वातावरण पैदा होगा उससे देश के विधान में परिवर्तन हो जायगा।

प्रश्न—इस प्रकार का रचनात्मक काम तो गावों में तीस साल से चल रहा है। चरखा संघ, ग्रामोद्योग सघ आदि संस्थाएँ भी काफी दिनों से काम कर रही हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसका दर्शन तो कहीं नहीं हो रहा है, फिर इस तरह समस्या का हल कैसे होगा ?

उत्तर—अबतक हम जो काम करते आये हैं उसमें क्रांतिकारी दृष्टि नहीं रही है। शुरू में हमने आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार करने के उद्देश्य से जन-संपर्क साधने के एक जरिये के रूप में इसे चलाया। फिर गरीबों को कुछ राहत पहुंचाने की दृष्टि से काम किया।

राहत की दृष्टि और क्रांतिकारी दृष्टि का फर्क आपको समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। अगर आप कहीं मिट्टी का एक टीला बनाते हैं तो किसी जगह गड्ढा करना पड़ता है। फिर गड्ढे में पानी आदि सड़ने पर उसे पाटने की बात सूझती है। लेकिन साथ ही टीले को भी रखना चाहते हैं। ऐसी हालत में टीले में से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी निकाल कर अगर गड्ढे पर डाल दे तो गड्ढा भरता नहीं और फिर जल्दी ही बंदबू होने लगती है। गड्ढा तो तभी पट सकता है जब पूरा टीला उसमें डाल दिया जाय।

उसी तरह आप बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े शहरों में संपत्ति के जो ऊंचे टीले देख रहे हैं वे देहातो में गड्ढे करके बने हैं। हम कुछ परोपकारी वृत्ति वाले लोग जब देहाती जनो की तकलीफ देखते हैं तो उसे दूर करने की सोचते हैं। इसके लिए हम कलकत्ता, बम्बई के टीलों से दो-चार हजार या एकाध लाख की संपत्ति माग कर ले आते हैं। फिर, खादी, ग्रामोद्योग आदि कार्यक्रम चलाकर उन्हीं श्रीमानों के हाथ में बेचकर देहाती-जनों में से शोषित संपत्ति का एक अति अल्प टुकड़ा उन्हें वापस दिलाने की कोशिश करते हैं। इससे दो-चार-दस व्यक्तियों को भले ही कुछ राहत मिल जाय,

लेकिन समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल तो पूर्ण बहिष्कार कर देहातो के शोषण का रास्ता बन्द करने से ही होगा। यानी अब हमें राहत के काम से सतोष न मानकर क्रांतिकारी दृष्टि से काम करना होगा।

यहां पर फिर साध्य और साधन की बात आती है। क्रांतिकारी का अपना जीवन ही उसके लिए साधन होता है। इसलिए अगर क्रांति करनी है तो आपको अपनी जिन्दगी में भी क्रांति करनी होगी। अबतक हम लोग अपने जीवन में क्रांति न करके त्याग करते रहे। इस प्रकार, त्याग और क्रांति में क्या फर्क है, यह समझ लेना चाहिए। लोक-सेवा के लिए जीवन का स्तर कुछ नीचे उतार लेने में त्याग अवश्य होता है, लेकिन क्रांति नहीं होती। क्रांति तो जीवन का तर्ज बदलने में होती है। इन्ने और स्पष्ट करूं। एक अध्यापक (५००) वेतन पर काम कर रहे हैं। वे नौकरी छोड़कर (१००) पर काम करने लगे तो उन्होंने त्याग किया। ऐसा करने में उन्होंने अपने हाथ से कुछ पैदा नहीं किया। वे अनुत्पादक उपभोक्ता ही रहे, केवल गरीबी को स्वीकार किया लेकिन अगर वे (१५०) भी लें और उसमें से (२५) यह सोच कर अपनी मेहनत से पैदा करने लगे कि क्रमशः शरीरश्रम द्वारा उत्पादन करके ही गुजारा करेंगे तो अपने को मजदूर बनाने की दिशा में उन्होंने सक्रिय कदम उठा लिया, अर्थात् उन्होंने अपने जीवन में वर्ग-परिवर्तन की क्रांति शुरू की। इस तरह क्रांति करने में त्याग आ ही जाता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि त्याग में क्रांति ही हो।

अबतक हम लोग जो काम करते रहे, उसमें हमारी यह दृष्टि नहीं रही। आज विनोबाजी साम्ययोग का सिद्धांत बताने में हमें यह नई दृष्टि दे रहे हैं। अगर आप लोग इसी दृष्टि से काम करेंगे तो मेरे कहने के मुताबिक नतीजा अवश्य निकलेगा।

प्रश्न—आपने पार्लामेंट्री पद्धति को हिंसा का ही रूप माना है, लेकिन वर्तमान जनतंत्र में उसके स्थान पर आप कौनसी पद्धति सुझाते हैं जो पक्षातीत होकर भी मुख्यवस्था बनाये रख सके और पूर्ण रूप में अहिंसक भी हो ?

उत्तर—जबतक पूर्ण रूप से राज्यसंस्था विद्यमान है और यह केंद्रित

भी है, तबतक पार्लामेंट्री पद्धति तो चलेगी, लेकिन मैंने जैसा कहा है, स्वावलम्बी समाज में भी राज्य का कुछ अवशेष रह जाता है, अर्थात् आपके प्रश्न के अनुसार राज्य-संस्था का कुछ-न-कुछ अवशेष रह ही जायगा। उसकी पद्धति कौनसी होगी, यही प्रश्न है। वह पद्धति पार्लामेंट्री पद्धति न होकर पंचायत-पद्धति होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, उस पद्धति के विधान केन्द्र से न बनकर समाज की मूल इकाई, यानी गाव से बनेंगे। ग्राम-विधान-सभा निर्णय करेगी कि सामाजिक जिम्मेदारी के कितने हिस्से वह खुद अपनी पंचायत द्वारा चला लेगी। फिर जितना बचेगा, उसे वह जिला-विधान-सभा को अपने एक प्रतिनिधि के साथ भेजेगी। इस प्रकार नीचे से जिम्मेदारी सम्हालते हुए दक्ष की जिम्मेदारी ऊपर जायगी और अन्त में जो कुछ थोड़ा बचेगा, वह राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत के जिम्मे रहेगा। ऐसी व्यवस्था स्वभावतः पार्टीगत न होकर व्यक्तिगत रूप से होगी। इस तरह अवशिष्ट राज्य, अवशिष्ट दंड के रूप में रहेगा। लेकिन वह पार्टी-संचालित पार्लामेंट्री संस्था न होकर पार्टी-हीन पंचायत-परम्परा का स्वरूप होगा। जब प्रत्येक ग्राम अपना अलग-अलग प्रतिनिधि ऊपर भेजता जायगा, तब क्रमशः सर्वोच्च पंचायत बनेगी, तो उसमें पार्टी टिकट पर चुनाव की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फिर जितने लोग यहाँ पहुँचेंगे, वे सब स्वतन्त्र सज्जन व्यक्ति होंगे—किसी पार्टी के नहीं।



—गोसेवा साहित्य—

१. The Cow in India Vol I & II by Satishchandra Das Gupta	१६)
२. Dead animals to Tanned Leather ,,	॥)
३. गो सेवा (हिंदी)	महात्मा गांधी १॥)
४. गोळाऊ गाईचे सवर्धन (मराठी)	य. म. पारनेरकर ॥)
५. पशु रोग चिकित्सा (मराठी)	डा. पा. व. माळी १॥)
६. चारादाना (हिंदी)	परमेश्वरीप्रसाद १)
७. पशुओं का इलाज	" " ॥)
८. कल्याण गो-अंक	४॥)
९. गायो की उन्नति (हिंदी) (डा. राजेंद्रप्रसादजी का भाषण)	≡)
१०. नकली-घो (हिंदी व अंग्रेजी)	१=)
११. गो-सेवा-संघ (द्वितीय सम्मेलन विवरण १९४६)	१)
१२. कम्पोस्ट अर्थात् मिश्र खाद	१)
१३. सर्वांगी गाय	१)
१४. सायलेज	१)
१५. जमाया तेल	=)
१६. दूध उत्पादन की पंचवर्षीय योजना—डा. जा. आर. कोठावाला	१)
१७. गाय ही क्यों	ला. हरदेवसहाय १)
१८. गाय या भैंस	" " १)
१९. गो-सकट निवारण	" " =)
२०. गो-वध का हेतु	" " १=)
२१. चमड़े के लिए गो-वध	कन्हैयालालजी भिंडा ॥)
२२. मीठा जहर	लाला हरदेवसहाय ≡)
२३. देश के दुश्मन	" १=)
२४. सिद्ध वनोपधि चिकित्सा	१)
२५. संतुलित गोपालन	५)
२६. घान की खेती : जापानी पद्धति	१)

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, (प्रकाशन विभाग) वर्धा

